[2021] 2 एस. सी. आर. 1073

सचिन कुमार और ओआरएस।

वी.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

(डीएसएसएसबी) और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 639-640 2021 का)

03 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

सेवा कानून-भर्ती-परीक्षा-अनियमितताएं-एक विज्ञापन दिनांक 26.12.2009 के लिए 232 रिक्तियों के लिए जारी किया गया

जी. एन. सी. टी. डी. में हेड क्लर्क [(ग्रेड 2) (डी. ए. एस. एस.)] का पद-62,056 आवेदन प्राप्त हुए-8,224 टियर-I परीक्षा में उपस्थित हुए -

2014 में परिणाम घोषित किए गए-वर्ष 2015 में टियर-II परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार उपस्थित हुए-टियर-I और टियर-I दोनों परीक्षाओं के संचालन में प्रश्न पत्रों के रिसाव, सामूहिक धोखाधड़ी, एक ही परिवार के सदस्यों को सामान्य परीक्षा केंद्र और कमरों के आवंटन के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुईं-अनियमितताओं की जांच के लिए दो समितियों का गठन किया गया, दोनों को परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं मिलीं-भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ए. सी. बी.) में एक ए. आई. आर. दर्ज की गई। 13 (1) (घ) भ्रष्टाचार अधिनियम आर/डब्ल्यू। आई. पी. सी. का s.120B-डी. मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की और एक अधिसूचना जारी की गई

परीक्षा रद्द करने के लिए जारी किया गया-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उक्त रद्द करने की अधिसूचना को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था कि नियुक्तियां ए. सी. बी. जांच के अधीन होंगी-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए राहत को केवल छह आवेदकों तक सीमित कर दिया जिन्होंने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया-अपील पर कहा गया: कला के तहत अवसर की समानता के मानदंड के अधीन पदों के चयन की एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया। 16 (1) एक संवैधानिक है

आवश्यकता-जहाँ सार्वजनिक रोजगार में भर्ती प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप दूषित हो जाती है, वहाँ पूरी प्रक्रिया अवैध हो जाती है-एक सार्वजनिक निकाय को निष्पक्ष और उचित शब्दों में कार्य करने की आवश्यकता चयन की पूरी प्रक्रिया को सक्रिय करती है-सार्वजनिक सेवा में भर्ती को आदेश देना चाहिए।

सार्वजनिक विश्वास-वर्तमान मामले में, समिति की रिपोर्ट इस पर आधारित है: (i) 2009 में विज्ञापन जारी होने के बाद टियर-I परीक्षा आयोजित करने में पांच साल की देरी; और (ii) जारी करना।

केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रवेश पत्रों की उपलब्धता, जो विज्ञापन में निर्धारित नहीं थी-अन्य अनियमितताओं के अलावा, समिति ने यह भी नोट किया कि एक रैकेट था जिसके कारण उम्मीदवारों का प्रतिरूपण हुआ था-यादृच्छिकता का अभाव था, कई मामले सामने आए थे जहां एक ही परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य लगातार क्रम में बैठे थे और संभावित चयन के क्षेत्र में आ रहे थे समिति ने पाया कि वीडियोग्राफी धुंधली थी, अंगूठे के निशान अपरिचित थे, जैमर ठीक से काम नहीं कर रहे थे और उम्मीदवारों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी

उनकी शैक्षणिक योग्यता के बावजूद-इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया गया कि उड़ान दस्ते के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों को जवाब देने के आरोप सभी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, सतर्कता सचिव ने यह भी राय व्यक्त की कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया दूषित प्रतीत होती है-प्रथम श्रेणी की परीक्षा में समान पहुंच से इनकार किया गया था और आरोपों से पता चलता है कि प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी-ऐसी स्थिति में, जहां सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है, इसे तर्कहीन या मनमाना नहीं माना जा सकता है। प्रक्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आनुपातिकता-उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों के निर्णय अस्थिर हैं।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 16 (1)-अवसर की समानता

सार्वजनिक रोजगार-अनियमितताएं-आयोजित: कला के तहत अवसर की समानता के मानदंड के अधीन पदों के चयन की एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया। 16 (1) एक संवैधानिक आवश्यकता है-जहां सार्वजनिक रोजगार में भर्ती परिणामस्वरूप दूषित हो जाती है

प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के कारण, पूरी प्रक्रिया अवैध हो जाती है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14 14-समानता का अधिकार-भर्ती-आयोजित: संवैधानिक मूल्य जो इसके अंतर्गत आते हैं

अनुच्छेद 14 और 16 आदेश देते हैं कि चयन प्रक्रियाएँ

भर्तियां करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए-एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया अनुच्छेद 14 की एक मौलिक आवश्यकता है जहां व्यक्तियों को अलग करना संभव है।

जो दुराचार में लिप्त हैं और अपने गलत काम के लिए उन्हें दंडित करते हैं, उनके गलत काम का बोझ उन लोगों पर डालना अनुचित होगा जो दोषमुक्त हैं-निर्दोष और गलत करने वालों के साथ समान व्यवहार करना-पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के परिणाम के लिए पूर्व को अधीन करना अनुच्छेद 14 के विपरीत होगा क्योंकि तब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

सचिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)

सेवा कानून-भर्ती-परीक्षा में अनियमितता कानून में स्थिति-पर चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

एक परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हो सकती है। मूल रूप से, इस मुद्दे का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रक्रिया में अनियमितताएं प्रणालीगत स्तर पर हुई हैं ताकि प्रक्रिया की पवित्रता को दूषित किया जा सके। ऐसे मामले हैं जो धोखाधड़ी के क्षेत्र में सीमा पार कर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता को नकार दिया जाता है। यह स्पेक्ट्रम का एक छोर है जहां प्राधिकरण

परीक्षा आयोजित करना या चयन प्रक्रिया आयोजित करना

यह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पर्यवेक्षण घटना या परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, प्रक्रिया ने अपनी वैधता खो दी है, जिससे इसे पूरी तरह से रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जहाँ एक निर्णय के साथ

स्पेक्ट्रम के मामले ऐसे मामले हैं जहां प्रक्रिया में कुछ प्रतिभागी जो परीक्षा या चयन परीक्षा में उपस्थित होते हैं, अनियमितताओं के दोषी होते हैं। ऐसे मामले में गलत काम करने के दोषी व्यक्तियों को दूसरों से अलग करना संभव हो सकता है। जिन्होंने नियमों का पालन किया है और पूर्व को प्रक्रिया से बाहर रखा है। ऐसे मामले में, जो लोग गलत काम करने के लिए निर्दोष हैं, उन्हें उन लोगों के लिए कीमत नहीं चुकानी चाहिए जो वास्तव में अनियमितताओं में शामिल पाए जाते हैं। गलत करने वालों को अलग करके, बेदाग उम्मीदवारों के चयन को उत्तीर्ण होने दिया जा सकता है

चयन प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाकर इकट्ठा करें। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि सेवा न्यायशास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में यह इसमें मूर्त रूप पाता है - संवैधानिक कर्तव्य जिसके द्वारा सार्वजनिक निकायों को निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के साथ कार्य करना होता है

21] 2 एस सी आर।

उचित रूप से। पदों के चयन की एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया

अनुच्छेद 16 (1) के तहत अवसर की समानता के मानदंड के अधीन एक संवैधानिक आवश्यकता है। एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया है

अनुच्छेद 14 की भी एक मौलिक आवश्यकता है। जहाँ सार्वजनिक रोजगार में भर्ती एक के रूप में दूषित है

प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप, पूरी प्रक्रिया अवैध हो जाती है। दूसरी ओर, जहां उन व्यक्तियों को अलग करना संभव है जो दुराचार में लिप्त हैं और उन्हें उनके गलत काम के लिए दंडित करें, उनके गलत काम का बोझ उन लोगों पर डालना अनुचित होगा जो दाग से मुक्त हैं। निर्दोष और गलत काम करने वालों के साथ समान व्यवहार करना

पहली पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के परिणाम के लिए अनुच्छेद 14 के विपरीत होगा क्योंकि तब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह आवश्यकता कि एक सार्वजनिक निकाय को निष्पक्ष और उचित शब्दों में कार्य करना चाहिए, चयन की पूरी प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इसलिए भर्ती निकाय के निर्णय विषय हैं।

न्यायिक नियंत्रण के लिए इस तय किए गए सिद्धांत के अधीन कि भर्ती प्राधिकरण के पास लेने के लिए विवेक का एक उपाय होना चाहिए

कानून के अनुसार निर्णय जो संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं

प्रक्रिया की पवित्रता। अब इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के उदाहरणों का विज्ञापन करना उचित हो जाता है जो इस क्षेत्र को धारण करते हैं। [पैरा 33] [1106-एफ-एच; 1107-ए-एच] 2. समिति ने कहा कि प्रथम श्रेणी की परीक्षा आयोजित करने में लगभग पांच साल की देरी हुई थी। परिणामस्वरूप, 62,056 आवेदकों में से केवल 8224 उम्मीदवार प्रथम श्रेणी की परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिससे यह आशंका पैदा हो गई थी कि उम्मीदवारों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। समिति ने उन उम्मीदवारों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्होंने टियर-I परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए थे लेकिन टियर-II परीक्षा में बेहद कम अंक प्राप्त किए थे। उम्मीदवार भी दिल्ली के एक विशेष क्षेत्र से केंद्रित दिखाई दिए। समिति ने पाया कि यह "आश्चर्यजनक है कि पूरी अंक सूची में समाज के एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है" उनके उपनामों के आधार पर। ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने टियर-I में उच्च अंक प्राप्त किए थे और उपस्थित होने में विफल रहे थे

टियर-II परीक्षा में। समिति ने परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं पर गंभीरता से ध्यान देने में विफल रहने में डीएसएसएसबी की भूमिका की आलोचना की। [पैरा 49] [1122-जी-एच; 1123-ए-बी] सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)

3. समिति के समक्ष उम्मीदवारों के भी प्रतिनिधित्व थे। समिति ने पाया कि टियर-I और टियर-II दोनों परीक्षाओं में एक ही परिवार के सदस्य निकटता में बैठे पाए गए थे, जिनका विवरण रिपोर्ट में सारणीबद्ध किया गया था। समिति ने नोट किया कि उसने संबोधित किया था

कथित अनियमितताओं के संबंध में डी. एस. एस. एस. बी. के अधिकारियों को प्रश्नावली दी गई लेकिन उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त की। समिति ने पाया कि की अनुपस्थिति में

यादृच्छिककरण, कई मामले सामने आए थे जहां एक ही परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य लगातार क्रम में बैठे थे और संभावित चयन के क्षेत्र में आ रहे थे। चयन क्षेत्र में आने वाले अधिकांश उम्मीदवार एक ही भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रतीत होते हैं। इस पृष्ठभूमि में और दस्तावेजी सामग्री की विशाल प्रकृति पर विचार करते हुए, समिति का विचार था कि या तो सीबीआई या अपराध

शाखा मामले की जांच करने में सक्षम होगी। मामला वहीं नहीं रुका। अपनी रिपोर्ट में पहली समिति ने पाया कि ग्रेड-II डी. ए. एस. एस. के पद के लिए डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं थीं। समिति की रिपोर्ट इस पर आधारित है: (i) आयोजन में पाँच साल की देरी

2009 में विज्ञापन जारी होने के बाद टियर-I परीक्षा; और (ii) केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रवेश पत्र जारी करना, जो विज्ञापन में निर्धारित नहीं था।

[पैरा 50] [1123-बी-एफ]

4. समिति का विचार था कि आवेदनों की तुलना में उम्मीदवारों के एक छोटे अनुपात की उपस्थिति का एक मुख्य कारण उम्मीदवारों की असमर्थता थी

ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करें। समिति के विचार में, इसने प्रथम दृष्टया चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया। डी. एस. एस. एस. बी. ने अपने जवाब में कहा था कि वह पहले डाक द्वारा प्रवेश पत्र भेजता था, लेकिन इससे डाक में देरी, पते में बदलाव और परिवहन में खोए हुए या क्षतिग्रस्त लोगों के स्थान पर डुप्लिकेट कार्ड जारी करने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयों को जन्म दिया। [पैरा 51] [1123-एफ-एच] 5. 5 जून 2013 को, बोर्ड ने यूपीएससी और रेलवे बोर्ड के पैटर्न का पालन किया था और ई-प्रवेश भी जारी करने का निर्णय लिया था।

कार्ड जिनका व्यापक प्रचार किया जाना था। इस पहलू पर समिति ने नोट किया कि विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया था कि [2021] 2 एस. सी. आर.

प्रवेश पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। तारीख से पांच साल की अवधि बीत चुकी थी

विज्ञापन। उम्मीदवारों के लिए एकल परीक्षा की अधिसूचनाओं पर नजर रखना संभव नहीं था। इस पृष्ठभूमि में, डी. एस. एस. एस. बी. का प्रक्रिया के दौरान केवल ई-प्रवेश पत्रों की अनुमति देने का निर्णय एक विचलन था जिसके परिणामस्वरूप टियर-I परीक्षा में कम संख्या में उम्मीदवार उपस्थित हुए। यह स्पष्ट रूप से चयन प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को समान पहुंच और अवसर से वंचित करने का संकेत था। समिति ने

इस निष्कर्ष को यह देखकर पुष्ट किया गया कि श्रेणी-I और श्रेणी-II में प्राप्त अंकों के बीच व्यापक अंतर था। परीक्षाएँ। यादृच्छिककरण के अभाव में, यह पाया गया कि एक परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार एक ही कमरे में बैठे थे और इन उम्मीदवारों के विवरण को विधिवत सारणीबद्ध किया गया था। समिति ने डी. एस. एस. एस. बी. के स्पष्टीकरण पर विचार किया कि सॉफ्टवेयर के लिए

28 जून 2015 से पहले यादृच्छिककरण उपलब्ध नहीं था और उम्मीदवारों के फेरबदल के लिए कदम उठाए गए हैं। समिति ने बोर्ड के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया, यह देखते हुए कि यदि

टियर-I परीक्षा में यादृच्छिककरण किया गया था, तब यह अकल्पनीय था कि परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार एक ही कमरे में कैसे बैठते थे। इसके अलावा, यह आश्चर्यजनक लगा कि यादृच्छिककरण टियर-I में किया गया था न कि टियर-II में। हालाँकि, डी. एस. एस. एस. बी. के अनुसार, इसके लिए हाथ से फेरबदल किया गया था टियर-II परीक्षा, तब भी टियर-II परीक्षा में काफी संख्या में निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति निकटता में बैठे थे।

डी. एस. एस. एस. बी. कर्मचारियों की मदद से केंद्र और प्रतिरूपण के उदाहरण सामने आए थे। समिति आगे बढ़ी इन उदाहरणों को सारणीबद्ध करना। इसके अलावा, समिति ने पाया कि वीडियोग्राफी धुंधली थी, अंगूठे के निशान थे

अपरिचित, जैमर ठीक से काम नहीं कर रहे थे और उम्मीदवारों को उनके सचिन कुमार बनाम की परवाह किए बिना उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।

राय दी कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया दूषित प्रतीत होती है। [पैरा 52] [1124-ए-एच; 1125-ए]
6. पहली समिति द्वारा शिकायतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अनियमितताएँ व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्यों या अनुचित साधनों तक ही सीमित नहीं थीं। इसके विपरीत, समिति की रिपोर्ट में कमियां पाई गईं -

प्रणालीगत प्रकृति जो श्रेणी-I और श्रेणी-II दोनों परीक्षाओं को शामिल करते हुए भर्ती की पूरी प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। 23 दिसंबर 2015 का उप-मुख्यमंत्री का आदेश पहली समिति के निष्कर्षों से अलग नहीं था। वास्तव में, उक्त आदेश ने पहली समिति के निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उप-मुख्यमंत्री के आदेश में केवल यह निर्देश दिया गया था कि आगे की जांच के दायरे को अनियमितताओं में से एक, अर्थात प्रतिरूपण तक सीमित कर दिया जाए। यह निर्देश देते हुए कि इस बात का सत्यापन किया जाए कि चयन क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार प्रतिरूपण का दोषी था या नहीं, उप मुख्यमंत्री के आदेश ने किया

पूरी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं को न मिटाएं। इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि प्रतिरूपण पर सत्यापन का आदेश देने के बाद, आगे कुछ भी नहीं किया जाना बाकी है और पहली समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया की पवित्रता को और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह काफी संभव है कि उप मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया हो।

प्रतिरूपण के आरोपों की जांच केवल अंतिम निर्णय को विश्वसनीयता देने के लिए की जाती है जो वह लेगा। श्री पटवालिया ने स्पष्टीकरण को पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा प्रस्तुत, आग्रह करते हुए कि तीन आई. ए. एस. अधिकारी और अन्य अधिकारी जिन्होंने व्याख्यात्मक नोट में अपने हस्ताक्षर किए थे, बचाव पक्ष को एक औचित्य प्रदान करते हैं कि टियर-I और टियर-II परीक्षाओं में खामियां नहीं थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीएसएसएसबी और उसके अधिकारियों का आचरण स्वयं ही था

एक बादल के नीचे। उनके स्पष्टीकरण पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जा सकता था।

जी. एन. सी. टी. डी. के अधिकारियों पर निर्णायक या बाध्यकारी के रूप में।

उप मुख्यमंत्री ने सिफारिश की कि पूरी प्रक्रिया

रद्द किए जाने पर उल्लंघन की प्रणालीगत प्रकृति पर जोर दिया गया था। इन उल्लंघनों में चयन के अंतिम क्षेत्र के भीतर सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचार में यह इस सरल कारण के लिए बिंदु से परे है कि वर्तमान मामले में आरोप की गंभीरता उस दाग के संबंध में नहीं है जो व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से जुड़ी हुई है, लेकिन समग्र रूप से भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता। इस न्यायालय के उदाहरण पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करते हैं कि जब एक पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता प्रणालीगत अनियमितताओं से दूषित हो जाती है,

तब मुद्दा दागी उम्मीदवारों की पहचान करने के बारे में नहीं है। वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, टियर-I परीक्षा में समान पहुंच से बुनियादी इनकार किया गया था। पहली समिति द्वारा सावधानीपूर्वक जाँच करने पर जिन आरोपों की पुष्टि की गई, उनकी प्रकृति से पता चला कि प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी। ऐसे में ऐसी स्थिति में जब सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया और आनुपातिकता के मानदंड को लागू करते हुए इसे तर्कहीन या मनमाना नहीं माना जा सकता है। [पैरा 55] [1126-बी-एच; 1127-ए-डी]

7. लोक सेवाओं में भर्ती से जनता का विश्वास बढ़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, उनका उद्देश्य सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना होता है। जहाँ पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, वहाँ इसके रद्द होने से निस्संदेह कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है जो विशेष रूप से गलत काम में शामिल नहीं पाए जा सकते हैं। लेकिन यह एक परीक्षा को रद्द करने के अंतिम निर्णय को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

गलत की प्रकृति-पूरी प्रक्रिया में कटौती करना ताकि भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं की वैधता पर गंभीर रूप से प्रभाव डाला जा सके। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों ने, हमारे विचार में, दूसरी समिति की रिपोर्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने में गलती की है जो प्रतिरूपण के मुद्दे तक ही सीमित थी। दूसरी समिति की रिपोर्ट मामले का केवल एक पहलू है। उप-मुख्यमंत्री ने इससे आगे बढ़ना उचित समझा और अंततः सिफारिश की कि पहली समिति की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन निष्कर्षों को न तो मिटा दिया गया है और न ही न्यायाधिकरण को कोई सचिन कुमार बनाम नहीं मिला है।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)

उन निष्कर्षों के साथ दोष। मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णय अस्थिर हैं। [पैरा 57] [1127-जी-एच; 1128-ए-सी]

8. न्यायाधिकरण ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय को दरकिनार करते हुए सरकार को प्रक्रिया करने का निर्देश दिया सभी 281 उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ जो इसके भीतर पाए गए थे

चयन क्षेत्र ने हालांकि वास्तव में उनमें से केवल 6 ने न्यायाधिकरण का रुख किया था। डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद, कई उम्मीदवारों द्वारा हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए थे। इन हस्तक्षेपों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और हमने 15 दिसंबर 2017 को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पारित आदेश से भी निष्कर्ष निकाला है। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई का कारण 15 मार्च 2016 को सामने आया था जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बावजूद हस्तक्षेप करने वाले उम्मीदवारों में से किसी ने भी निर्णय को चुनौती नहीं दी थी। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय 13 जनवरी 2020 को दिया गया था और इसके बाद ही इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्थानांतरित किया गया है। इनमें से कुछ

जिन याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थीं, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप के लिए आवेदन भी नहीं किए थे। अन्य लोगों ने 15 दिसंबर 2017 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 2 साल से अधिक समय तक अपने उपायों को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने इस निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

परीक्षा रद्द करना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय ने डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. की दलीलों को बरकरार रखा है और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने के लिए आगे बढ़ा है, उम्मीदवारों द्वारा दायर एस. एल. पी. को किसी भी स्थिति में खारिज करना होगा। [पैरा 59] [1128-ई-एच; 1129-ए-बी]

9. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय आदेश देता है और निर्देश देता है:

(I) एस. एल. पी. के इस समूह की सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वे एस. एल. पी. में गंभीर खामियों को दर्शाते हैं।

डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा संचालित प्रक्रिया। डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. को अब इसके खिलाफ पर्याप्त उपाय करने चाहिए।

ऐसे उदाहरणों की पुनरावृत्ति जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कम करती है

[20
21] 2 एस.

भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास। इस न्यायालय ने कहा कि दो महीने की अवधि के भीतर सुरक्षा उपायों के तौर-तरीकों को फिर से देखने के लिए एक व्यापक अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया की प्रामाणिकता बनी रहे (ii) जी. एन. सी. टी. डी. की 15 मार्च 2016 की अधिसूचना में पोस्ट कोड 90 के तहत हेड क्लर्क [(ग्रेड II (डी. ए. एस. एस.)] के पद पर भर्ती के लिए आयोजित टियर-I और टियर-II परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। [पैरा 60] [1129-बी-ई]

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम। सुभाष चंद्र

सिन्हा और अन्य (1970) 1 एस. सी. सी. 648: [1970] 3 एससीआर 963;

अनामिका मिश्रा बनाम। यूपी लोक सेवा आयोग,

इलाहाबाद (1990) सप. एससीसी 692: [1989] पूरक। एससीआर

124 ; मध्यम शिक्षा मंडल, सांसद बनाम. अभिलाष

शिक्षा प्रसार समिति (1998) 9 एससीसी 236; संघ

भारत बनाम. राजेश पी. यू. पुथुवालनिकथु (2003) 7 एस. सी. सी. 285

: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 883; इंदरप्रीत सिंह काहलों

वी. पंजाब राज्य (2006) 11 एससीसी 356: [2006] 1 पूरक। एससीआर 772; जोगिंदर पाल बनाम। पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी

644 [2014] 6 एस. सी. आर. 383; अध्यक्ष अखिल भारतीय रेलवे

भर्ती बोर्ड v. के श्याम कुमार (2010) 6 एससीसी

614 : [2010] 6 एस. सी. आर. 291; तमिलनाडु राज्य बनाम। ए.

कलैमनी 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1002; गोहिल विश्वराज हनुभाई वी. गुजरात राज्य (2017) 13 एससीसी 621:

[2017] 3 एस. सी. आर. 401-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1970] 3 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पैरा

34

[1989] पूरक। एससीआर 124

उस पर भरोसा करें

पैरा

35

(1998) 9 एससीसी 236

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

[2003] 1 पूरक। एससीआर 883

उस पर भरोसा करें

पैरा

37

[2006] 1 पूरक। एससीआर 772

उस पर भरोसा करें

पैरा

38

[2014] 6 एससीआर 383

उस पर भरोसा करें

पैरा

43

[2010] 6 एससीआर 291

उस पर भरोसा करें

पैरा

44

उस पर भरोसा करें

पैरा 46 सचिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 639

640 2021 का

2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 5756 और डब्ल्यू. पी. (सी) सं. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

13373 2018 से।

के साथ

सिविल अपील सं। 643-644 2021 का 641-642,2021 का 645-646,2021 का 649-650,2021 का 647-648,2021 का 651,2021 का 653-654,2021 का 652,2021 का 655-656,2021 का 657-658,2021 का 659-660।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., रितिन राय, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिबो शंकर मिश्रा, पीयूष बेरीवाल, आहुश पुरी, बी. वी. बलराम दास,

रजनीश कुमार झा, परवीन कुमार, पुलकित तारे, संदीपन पाठक, सुश्री मालविका त्रिवेदी, आदित्य शेखर, चंद्र शेखर, प्रशांत

शेखर, अश्विनी सैनी, कामेश्वर नाथ मिश्रा, संजय कुमार त्यागी, साहिल टागोत्रा, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, राघव शर्मा, इशांत अरोड़ा, सुश्री मिताली गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है:

मुकदमे की एक व्यापक रूपरेखा

बी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि ग न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही

जी वर्तमान मामला मुकदमे की एक व्यापक रूपरेखा

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह निर्णय सेवा में एक परिचित पहेली का दौरा करता है

न्यायशास्त्र। संवैधानिक मूल्य जो अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनिवार्य हैं कि भर्ती करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित चयन प्रक्रियाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।

अक्सर, मानव दोषपूर्णता और दोष चयन प्रक्रियाओं में घुसपैठ करते हैं।

चयन में तीव्र प्रतिस्पर्धा शामिल होती है और ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है जो दौड़ में अनुचित छलांग लगाने के लिए नियमों को मोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रक्रिया में अनियमितताएं इस बात पर संदेह पैदा करती हैं कि क्या प्रक्रिया ने सभी व्यक्तियों को समान पहुंच से वंचित कर दिया है। चयन प्रक्रिया की पवित्रता एक बादल के नीचे आती है। उम्मीदवारों द्वारा व्यक्तिगत गलत काम का पता लगाने के परिणामस्वरूप उन लोगों को बाहर करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है जिनकी साख या प्रदर्शन दूषित है। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है, तो इसके संचालन का प्रभारी प्राधिकारी समग्र रूप से चयन को रद्द करने का निर्णय ले सकता है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने के लिए न्यायिक समीक्षा का आह्वान किया जाता है। पिछले पाँच दशकों में मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित हुए हैं क्योंकि नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और भर्ती प्रक्रियाओं की वैधता को कम करने के नए प्रयास सामने आए हैं। वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ("न्यायाधिकरण") के इस विचार को बरकरार रखा कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना अमान्य था, लेकिन इसने राहत को छह उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया, जिन्होंने

आगे के रास्ते के लिए हमें इस विषय पर कानून पर फिर से विचार करने और विकसित करने की आवश्यकता है। 3. बारह अपीलों का यह समूह 13 जनवरी 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होता है। दो याचिकाएं

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ("डीएसएसएसबी") द्वारा प्रश्न पूछने के लिए स्थापित किया गया था। 1 फरवरी 2017 और 27 फरवरी 2017 के न्यायाधिकरण के आदेशों की वैधता। न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ("जी. एन. सी. टी. डी".) के प्रमुख के पद पर नियुक्तियों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को रद्द कर दिया।

जी. एन. सी. टी. डी. में क्लर्क [(ग्रेड 2) (डी. ए. एस. एस)]। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने डी. एस. एस. एस. बी. को चयन प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया जिसके लिए

टियर-I और टियर-II की परीक्षाएँ आयोजित की गई थीं। न्यायाधिकरण के समक्ष दो ओ. ए. 1 में कार्यवाही कुल छह आवेदकों द्वारा शुरू की गई थी।

प्रत्येक ओ. ए. में तीन। न्यायाधिकरण के निर्णय में यह निहित है कि लाभ

1 2015 का ओ. ए. सं. 3941 और 2016 का ओ. ए. No.1578 चिन कुमार बनाम।

बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]भर्ती प्रक्रिया को अलग करने का आदेश न केवल उन X आवेदकों के लिए होगा जिन्होंने इसे स्थानांतरित किया था, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी होगा, हालांकि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने को चुनौती नहीं दी थी। द हाई

अपने फैसले में कहा कि

((i)

न्यायाधिकरण के दिनांक 1 फरवरी 2017 और 27 के आदेश

फरवरी 2017 के रद्द करने को अलग करते हुए भर्ती प्रक्रिया कानूनी स्थिति के अनुसार थी;

((ख)

यह राहत उन छह आवेदकों तक ही सीमित रहेगी जो

न्यायाधिकरण का रुख किया था; और

(iii)

छह आवेदकों में से प्रत्येक, जो पहले उत्तरदाता थे

उच्च न्यायालय को एक निर्धारित अवधि और नियुक्ति प्रक्रिया के भीतर नए सिरे से टियर-II परीक्षा देने की आवश्यकता होगी।

उनके लिए इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

4. एस. एल. पी. का समूह जो उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होता है

प्रदर्शनी की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

ऑरिजः

जीएनसीटीडी और डीएसएसएसबी ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी

((i)

न्यायाधिकरण के आदेशों की पुष्टि करते हुए न्यायालय जिसने निर्धारित किया था

भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के अलावा;

((ख)

छह उम्मीदवार जो न्यायाधिकरण के समक्ष सफल हुए और

भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय को दरकिनार करने के संबंध में उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देश से व्यथित है जिसमें उन्हें अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता है।

टियर-II परीक्षा नए सिरे से; और

(iii)

जिन उम्मीदवारों ने रद्द करने को चुनौती नहीं दी थी

न्यायाधिकरण के समक्ष भर्ती प्रक्रिया लेकिन क्या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के न्यायाधिकरण के फैसले के लाभार्थी थे

उच्च न्यायालय द्वारा केवल उन छह उम्मीदवारों को राहत प्रदान की गई जिन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. दायर किए थे।

5. ऊपर उल्लिखित श्रेणी (iii) में निम्नलिखित शामिल हैं:

((i)

ऐसे व्यक्ति जिनका हस्तक्षेप उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करता है न्यायालय की विचाराधीनता के दौरान खारिज कर दिया गया था

अन्य बातों के साथ-साथ 15 दिसंबर 2017 के एक आदेश द्वारा कार्यवाही;

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले में न तो न्यायाधिकरण का रुख किया था

((ख)

न ही उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप का प्रयास किया है, लेकिन अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं।

इस न्यायालय के समक्ष संविधान।

6. मुकदमेबाजी ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है, उसकी व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के बाद, अब विशिष्टताओं की ओर मुड़ना आवश्यक है।

बी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

7. 26 दिसंबर 2009 को, डी. एस. एस. एस. बी. ने एक विज्ञापन 2 जारी किया जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

(सेवा विभाग-II, जी. एन. सी. टी. डी. में कुल 232 रिक्तियों के लिए डी. ए. एस. एस.)]/हेड क्लर्क (पोस्ट कोड 90/09)। 62,056 आवेदन प्राप्त हुए और 61,179 पात्र पाए गए। परीक्षा की योजना में शामिल थे:

टियर-I-उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा

((i)

मुख्य परीक्षा के लिए। यह एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण था।

200 अंकों की और ढाई घंटे की अवधि के लिए; और (ii) टियर-II-मुख्य परीक्षा जो ढाई घंटे की अवधि के लिए 200 अंकों की वर्णनात्मक प्रकार की थी।

8. डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा 29 जून 2014 को प्रथम श्रेणी की परीक्षा आयोजित की गई थी। 8, 224 उम्मीदवार टियर-I परीक्षा में उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि कुल 609 पिन कोड के मुकाबले दिल्ली के 22 पिन कोड से 4,712 उम्मीदवार (लगभग 55 प्रतिशत) लिए गए थे।

9. 14 अक्टूबर 2014 और 27 मार्च 2015 के बीच, डी. एस. एस. एस. बी. को संचालन में गंभीर अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं।

टियर-I परीक्षा का आरोप:

(1) प्रश्न पत्रों का रिसाव;

((ख)

सामूहिक धोखाधड़ी;

(iii)

सामान्य परीक्षा केंद्रों और कमरों का आवंटन

एक ही परिवार के सदस्य; तथा

((iv) उम्मीदवारों का प्रतिरूपण।

10. टियर-I परीक्षा के परिणाम 21 अक्टूबर 2014 को घोषित किए गए थे और 2,415 उम्मीदवारों को चुना गया था। टियर-II

परीक्षा 29 मार्च 2015 को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 15 जुलाई 2015 को घोषित किए गए थे।

विज्ञापन No.004/2009 सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

पहली समिति

11. 30 जुलाई 2015 और 1 फरवरी 2016 के बीच, दोनों के आचरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुईं।

टियर-I और टियर-II परीक्षाएँ। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने 22 अगस्त 2015 को एक समिति का गठन किया जिसमें निदेशक (सतर्कता) और जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) शामिल थे जो टियर-I और टियर-II के संचालन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतों की जांच करेंगे।

परीक्षाएँ। समिति ने 10 सितंबर 2015 और 18 सितंबर 2015 की अपनी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला कि प्रथम श्रेणी की जांच परीक्षा और द्वितीय श्रेणी की मुख्य परीक्षा दोनों के दौरान धोखाधड़ी और प्रतिरूपण सहित गंभीर अनियमितताएं थीं। समिति ने राय दी कि परीक्षा को टियर-I परिणाम घोषित करने के चरण में रद्द कर दिया जाना चाहिए था और मामले को पूरी तरह से जांच के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा/अपराध शाखा को भेजा जाना चाहिए था। समिति के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

" 35. डी. एस. एस. एस. बी. से प्राप्त कुछ दस्तावेजों/सूचनाओं और दिए गए इनपुट के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच

शिकायतकर्ता द्वारा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणी-I और श्रेणी-II परीक्षा में भारी अनियमितताएं की गई हैं। यादृच्छिककरण उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक आधार घटक है। हालांकि, तत्काल मामले में टियर-I और टियर-II में आवेदन का यादृच्छिककरण किया गया है या नहीं, बुनियादी जांच का परिणाम यह है कि इतने सारे मामले सामने आए हैं। जहाँ एक के दो या अधिक सदस्य हों।

परिवार एक के बाद एक (लगातार) परीक्षा में बैठा और वे भी संभावित चयन के क्षेत्र में आ रहे हैं, यह भर्ती प्रक्रिया के निष्पक्ष अभ्यास का उद्देश्य है।

36. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बार-बार आरोप लगाया कि चयन क्षेत्र के तहत आने वाले अधिकांश उम्मीदवारों के पास निश्चित भौगोलिक कारण (क्षेत्र) प्रतीत होता है। द्वारा उपलब्ध कराए गए उपलब्ध दस्तावेजों से इसकी पुष्टि की गई है। डीएसएसएसबी और प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

37. पिछली परीक्षाओं में इसी तरह के कदाचार की घटनाएँ

डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित किए जाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। 38. इस मामले में आवश्यक दस्तावेज विशाल प्रकृति के हैं और प्रत्येक दस्तावेज पर पूरा ध्यान देने और उच्च न्यायालय की रिपोर्ट की गहन जांच की आवश्यकता है।

एस सी आर।

तदनुसार जिसके लिए विशाल मानव-शक्तियों (मानव-शक्ति) की आवश्यकता होती है।

गहन जाँच के लिए संदिग्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

उम्मीदवार, उनसे पूछताछ, दोषियों को फंसाना, विभिन्न सुरागों को जोड़ना आदि। केवल सी. बी. आई. या अपराध शाखा ही इस तरह के मामलों से निपट सकती है क्योंकि उनके पास उचित श्रमशक्ति, जांच है।

तकनीक, जाँच के लिए पुलिस की शक्तियाँ और विशाल

ऐसे मामलों को सुलझाने का अनुभव "। पहली समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, ए

सतर्कता निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था और था

24 सितंबर 2015 को डी. एस. एस. एस. बी. के अध्यक्ष को उनके कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। जिन प्रश्नों को पूछा गया उनमें निम्नलिखित शामिल थे:

" (i) होल्डिंग में लगभग 5 साल की देरी का क्या कारण था?

टियर-I परीक्षा? (ii) क्या भर्ती नियमों ('आर. आर.') के संदर्भ में उम्मीदवारों की पात्रता का पता लगाने के लिए आवेदनों की जांच की गई थी? उस कवायद में कौन-कौन अधिकारी/अधिकारी लगे हुए थे?

(iii) चूंकि कई उम्मीदवारों के लिए आसान पहुँच नहीं थी इंटरनेट सुविधा, क्या सभी योग्य उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी प्रवेश पत्र भेजे गए थे? वह अधिकारी कौन था जिसने उम्मीदवारों को ई-मेल/ऑनलाइन द्वारा सूचित करने का निर्णय लिया था?

(iv) क्या टियर-I और टियर-II परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबरों का यादृच्छिककरण किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी/अधिकारी कौन थे

यादृच्छिककरण करने में विफलता?

(v) उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों के आवंटन और ऐसे परीक्षा केंद्रों पर मुख्य पर्यवेक्षकों, पर्यवेक्षकों और सहायक पर्यवेक्षकों की तैनाती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं? कागजातों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल कार्यालयों के नाम। कागजात स्थापित करने की प्रक्रिया/नीति क्या थी और उस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन था?

(vi) मुद्रण प्रक्रिया के चयन की प्रक्रिया/नीति क्या है?

प्रश्न पत्र छापने के लिए? अधिकारियों के नाम क्या हैं?

इसके पर्यवेक्षण में शामिल '?

(vii) मुद्रित पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? परिसर और वे किसकी अभिरक्षा में रहे?

चिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

(viii) प्रथम श्रेणी की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शिकायतों पर डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

टियर-II परीक्षा आयोजित करने से पहले प्रतिरूपण, धोखाधड़ी और परीक्षा पत्रों का रिसाव? शिकायतों में नामित विशिष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

(ix) क्या शकरपुर परीक्षा केंद्र में जैमर और वीडियोग्राफी में कोई खराबी थी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ डीएसएसएसबी द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी?

12. 1 अक्टूबर 2015 को डी. एस. एस. एस. बी. ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि

((i)

यह समझाने के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था कि परीक्षा क्यों की गई

बैकलॉग को साफ करने के लिए परीक्षाएँ; 1 जून 2013 को डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी।

((ख)

डाक द्वारा भौतिक प्रवेश पत्र भेजने पर चर्चा करें। यूपीएससी और रेलवे बोर्ड के उदाहरण के बाद ई-प्रवेश पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें उम्मीदवार कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डीएसएसएसबी के अलावा समाचार पत्रों में भी इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया गया।

वेबसाइट। ई-प्रवेश पत्रों का सहारा इसलिए लिया गया क्योंकि

जारी होने के बाद से काफी देरी 2009 में विज्ञापन, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पते में परिवर्तन, डाक में देरी और नुकसान या क्षति की स्थिति में डुप्लिकेट कार्ड जारी करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं;

(iii)

टियर-II परीक्षा के लिए यादृच्छिककरण किया गया था। इससे पहले

28 जून 2015 में यादृच्छिककरण के लिए कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं था। हालांकि, प्रचुर सावधानी के माध्यम से, को देखते हुए

शिकायतें जो प्राप्त हुई थीं, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था में एक हाथ से फेरबदल किया गया था ताकि पर्याप्त दूरी बनाए रखी जा सके। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनके रोल नंबरों को सभी पर्यवेक्षकों के लिए बैठक योजना में उजागर किया गया था। इसके अलावा, प्रश्न पत्रों को चार श्रृंखलाओं में मुद्रित किया गया था, जिसके

परिणामस्वरूप निकटता में बैठने वाले उम्मीदवारों के पास आवश्यक रूप से [2021] 2 एस. सी. आर. नहीं होगा।

वही प्रश्न पत्र। वहाँ, किसी भी घटना में, एक प्राकृतिक था

अनुपस्थित और असफल लोगों के कारण यादृच्छिककरण

उम्मीदवार;

((iv) प्रतिरूपण के आरोप में कोई सार नहीं था।

चूंकि परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों को विवरण, उपस्थिति पत्रक में तस्वीरों और प्रवेश पत्र के आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार की पहचान निर्धारित करने की आवश्यकता थी

प्रत्येक उम्मीदवार का;

जैमरों की कोई खराब कार्यप्रणाली नहीं थी और

(v)

वीडियोग्राफी; और

(vi) डी. एस. एस. एस. बी. ने पात्रता की कोई जांच नहीं की

प्रारंभिक चरण में उम्मीदवार और यह केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया गया था जो अंत में चयन के माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम थे

प्रक्रिया।

13. प्रश्नावली का जवाब पहली समिति के समक्ष रखा गया था जिसने 12 अक्टूबर 2015 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

समिति की रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्ष थे:

पाँच साल की देरी का कोई औचित्य नहीं था।

((i)

जारी होने के बाद टियर-I परीक्षा आयोजित करना

विज्ञापन;

((ख)

विज्ञापन में यह निर्धारित नहीं किया गया था कि प्रवेश पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाए। प्रत्येक आवेदक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रवेश पत्र भेजने में विफलता के परिणामस्वरूप

उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भारी गिरावट

टियर-I परीक्षा के लिए; डी. एस. एस. एस. बी. ने या तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी या अस्पष्ट जानकारी दी थी।

(iii)

गंभीर अनियमितताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया। यह इसमें ऐसे उम्मीदवारों के उदाहरण शामिल थे जिन्होंने टियर-I परीक्षा में कुल 200 अंकों में से 150 से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन टियर-II वस्तुनिष्ठ पेपर में कुछ अंक प्राप्त किए थे।

((iv) यदि यादृच्छिककरण वास्तव में श्रेणी-II में हुआ था।

जाँच, यह नहीं बताया कि एक ही परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार एक ही परीक्षा कक्ष में कैसे बैठे थे;

(v)

प्रतिरूपण के संबंध में शिकायतों के आरोप और

बिचौलिये और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत चिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

उम्मीदवारों के साथ सही प्रतीत हुआ। 12 के लिए उम्मीदवारों, उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर से मेल खाने के लिए प्रवेश पत्र पर उनके हस्ताक्षर की विफलता के कारण प्रतिरूपण के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष सामने आए

सही होना; और

(vi) उम्मीदवारों को बिना जांच के उपस्थित होने की अनुमति देकर

योग्यता, डी. एस. एस. एस. बी. एक उचित कार्य करने में विफल रहा था जांच, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को अनुचित प्राप्त करने की अनुमति मिलती है

लाभ होता है।

14. 19 अक्टूबर 2015 को, सचिव (सतर्कता) ने डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा परीक्षा के संचालन में की गई अनियमितताओं की ओर इशारा किया। राय से प्रासंगिक उद्धरण

इस प्रकार है:

" 64. [.....] (i) संख्या में बहुत अंतर है।

प्राप्त आवेदन अर्थात 62056 और उम्मीदवारों की संख्या।

इस तथ्य का समर्थन किया गया कि लगभग 5 साल की नियत देरी के बाद भी, सभी पात्रों को प्रवेश पत्र नहीं भेजे गए थे स्पीड पोस्ट के माध्यम से उम्मीदवार। डीएसएसएसबी ने प्रवेश पत्र जारी किए

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जिसका उल्लेख नहीं किया गया था पद के लिए विज्ञापन। इसके अलावा, कई उम्मीदवारों, विशेष रूप से छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले, के पास नहीं हो सकता है

इंटरनेट सुविधा तक आसान पहुँच।

ii) कुछ उम्मीदवारों ने टियर-I परीक्षा में 200 अंकों में से 150 से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन टियर-II परीक्षा में बहुत कम अंक प्राप्त किए, शून्य भी।

उम्मीदवार किए गए थे, कई मामलों में परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार एक के बाद एक एक कमरों में बैठे थे, कुछ में टियर-I और टियर-II दोनों परीक्षाओं में मामले, जो नहीं दिखाई देते हैं

विश्वसनीय बनें।

iv) कुछ मामलों में, प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में, धुंधले/हेरफेर किए गए अंगूठे के छाप प्राप्त किए गए थे

उपस्थिति पत्रक। इससे पता चलता है कि परीक्षा में प्रतिरूपण

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

v) बोर्ड ने कुछ उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी, जिनके पास निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं थी।

65. उपरोक्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, ग्रेड-II (डी. ए. एस. एस.) के पद के लिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया दूषित प्रतीत होती है। माननीय डी. मुख्यमंत्री इस मामले में विचार कर सकते हैं।

15. समिति की रिपोर्ट सचिव (सतर्कता) द्वारा 19 अक्टूबर 2015 को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी।

जिसके बाद 20 अक्टूबर 2015 को डी. एस. एस. एस. बी. से टिप्पणियां मंगाई गईं। 9 नवंबर 2015 के अपने पत्र द्वारा, डी. एस. एस. एस. बी. ने उप मुख्यमंत्री के कार्यालय को सूचित किया कि 5 नवंबर 2015 को एक विशेष बोर्ड की बैठक के परिणामस्वरूप, टिप्पणियों के सारांश को मंजूरी दी गई, जिसे इस प्रकार पढ़ा गया:

" 20. डी. एस. एस. एस. बी. ने अपने 9 नवंबर, 2015 के पत्र द्वारा उप मुख्यमंत्री के कार्यालय को सूचित किया कि डी. एस. एस. एस. बी. की एक विशेष बोर्ड बैठक 5 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई थी। उक्त पत्र के साथ डी. एस. एस. एस. बी. की टिप्पणियों का सारांश था, जो

बोर्ड की विशेष बैठक में इसे मंजूरी दी गई। टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

(i) देरी कुछ प्रशासनिक बाधाओं [बाधाओं] के कारण हुई जैसा कि सेवा विभाग के साथ पत्राचार में उजागर किया गया था और साथ ही साथ भारी विचाराधीनता जमा होने के कारण भी हुई थी।

इस अवधि में।

(ii) यह निर्णय बोर्ड की बैठक में अधिकांश प्रमुख भर्ती निकायों द्वारा समान प्रथाओं के अनुरूप लिया गया था।

पिछली भौतिक प्रणाली से उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक मुद्दे

(iii) विभिन्न स्तर की कठिनाई, परीक्षा और परीक्षा के दिन की तैयारी के बीच के अंतर को देखते हुए विभिन्न परीक्षाओं के अंकों में अंतर काफी प्रशंसनीय है। एस. एस. सी. जैसे अन्य परीक्षा निकायों के साथ इसी तरह की घटना पर प्रकाश डाला गया है।
(iv) वीडियोग्राफी और मोबाइल जैमर जैसे असाधारण उपायों को बाधित करने के किसी भी जानबूझकर किए गए प्रयास का कोई मामला नहीं बनता है।

(v) परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक उत्तर कुंजी बोर्ड में उपलब्ध नहीं है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाना बेतुका होगा। जिन्हें उड़न दस्ते के रूप में तैनात किया जाता है

सदस्य।

चिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

(vi) सेवा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं की पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था जो

इस मामले में उपयोगकर्ता विभाग भी होता है।

(vii) श्री प्रवीण मलिक को केंद्र में वास्तविक दिखने वाला प्रवेश पत्र भेंट किया गया जो मौजूद अभिलेखों से मेल नहीं खाता था। हालाँकि, चूंकि उस समय विस्तृत सत्यापन संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एक वचन के साथ अनुमति दी गई थी। उसके बाद बोर्ड द्वारा उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी, वह टियर-II के लिए उपस्थित हुए

अदालती आदेश के माध्यम से जाँच, मामला विचाराधीन है।

(viii) बोर्ड ने पहले ही विचार क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के हाथ लेखन, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को सत्यापित करने का निर्णय लिया था और 12 उम्मीदवारों के लिए कार्यवाही पूरी कर ली थी जिनके खिलाफ विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त अभ्यास के परिणामस्वरूप, उप मुख्यमंत्री

डी 23/28 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित आदेश:

" ग्रेड-II डी. ए. एस. एस.) पोस्ट कोड 90/09 के लिए आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर डी. एस. एस. एस. बी. की सिफारिशों के आधार पर, यह निर्देश दिया जाता है कि सभी उम्मीदवार

जो विचाराधीन क्षेत्र में हैं, परिणाम की घोषणा के संबंध में बोर्ड के निर्णय से पहले प्रतिरूपण की जांच करने के लिए डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा उनकी जांच की जा सकती है। उम्मीदवार, क्षेत्र में

विचार, जो छापों के सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहते हैं, उन्हें इस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

इस अभ्यास के दौरान पाए गए किसी भी प्रतिरूपणकर्ता [प्रतिरूपणकर्ता] के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है

परीक्षा केंद्रों के संबंधित अधीक्षकों के खिलाफ शुरू किया गया जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि पर्यवेक्षक संबंधित उपस्थिति में उम्मीदवारों के अंगूठे की छाप प्राप्त करें

चादरें। डी. एस. एस. एस. बी. इस प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा कर लेगा।

दूसरी समिति

16. 14 जनवरी 2016 को, डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा चार सदस्यों वाली एक समिति "योग्यता सूची में विचार के क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों की साख की जांच करने के लिए, उम्मीदवार की जांच के लिए Gr.II/डी. ए. एस. एस. (पद 90/09) और उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए" गठित की गई।

स्वाभाविक "।

21] 2 एस सी आर।

17. 1 फरवरी से 12 फरवरी 2016 के बीच और 26 फरवरी 2016 को डीएसएसएसबी अधिकारियों की एक टीम ने फोरेंसिक के अधिकारियों के साथ

विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) और सतर्कता विभाग (डीओवी) ने विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले 290 उम्मीदवारों के प्रतिरूपण की जांच करने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया को अंजाम दिया। बायोमेट्रिक पहचान से संबंधित एक एजेंसी भी उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान की जांच करने की प्रक्रिया में शामिल थी। सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल हैं:

" 1 पहचान का प्रमाण

2 हाल ही में दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

3 डीओबी सबूत।

4 उनके संबंध में मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकपत्र

योग्यता.

5 जाति/खेल प्रमाण पत्र यदि कोई हो।

समिति ने नोट किया कि:

" सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान बुलाए गए 290 उम्मीदवारों में से

1 फरवरी से 12 फरवरी तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केवल 270 उम्मीदवार उपस्थित रहे। शेष 20 उम्मीदवारों को 26 फरवरी को उपस्थित रहने का एक और अवसर दिया गया था, जिसमें से केवल 11 उम्मीदवार उपस्थित रहे। नोटिस की सेवा के अलावा शेष 20 उम्मीदवारों को बुलाने का नोटिस भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और प्रमुख रूप से प्रकाशित किया गया था।

समाचार पत्र।

समिति की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 1 वर्तमान उम्मीदवारों के दस्तावेज़ सत्यापन को सतर्कता विभाग के साथ चिन्हित डी. एस. एस. एस. बी. अधिकारियों द्वारा पूरा किया गया था।

विभाग के अधिकारी। दस्तावेजों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

281 वर्तमान उम्मीदवारों में से।

2 02 उम्मीदवारों के संबंध में (श्री दिनेश कुमार रोल नंबर 90003227 श्री किशन कुमार रोल नंबर 900057546) डी. एस. एस. एस. बी. के साथ सभी 6 उपलब्ध अंगूठे के निशान रिकॉर्ड सत्यापन के समय लिए गए लाइव प्रिंटों (अनुलग्नक VII) के साथ मिलान के लिए अयोग्य पाए गए।

3 1 उम्मीदवारों (श्री योगेश कुमार रोल नंबर 90030785) के लिए लाइव प्रिंट टियर II रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं खाता था, लेकिन टियर I रिकॉर्ड और आवेदन पत्र (अनुलग्नक VIII) के साथ मेल खाता पाया गया।

चिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

एफ. एस. एल. रिपोर्टों में लिखित और हस्ताक्षर में संदिग्ध [एस. आई. सी. संदेह] पाए जाते हैं।

4 सत्यापन के दौरान 02 उम्मीदवारों (श्री दीपक मान रोल नंबर 90038154 और श्री अमित खत्री रोल नंबर 90041220) द्वारा यह खुलासा किया गया कि वे अतीत में यूपीएससी परीक्षा और एसएससी परीक्षा में पेपर लीक/धोखाधड़ी के मामलों में शामिल होने के लिए जेल गए थे क्रमशः। श्री दीपक मान 2010 तक दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्री अमित खत्री मुंबई में आयकर विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में हैं।

निलंबन के तहत। 5 सभी 09 अनुपस्थित उम्मीदवारों के अभिलेखों की जांच करते समय यह देखा गया कि श्री सुभाष सिंह (अनुक्रमांक 90010887)

इससे पहले 14 अगस्त 2015 को इसी तरह की प्रक्रिया के लिए कहा गया था

एफ. एस. एल. विशेषज्ञों पर हस्तलिखित अंश ने इसे संदिग्ध पाया और अधिक विवरण में नमूने की फिर से जांच करना चाहते हैं। अंगूठा।

छाप को मैच के लिए अयोग्य पाया गया।

6 श्री विकास की बायोमेट्रिक सत्यापन रिपोर्ट में (रोल नं. 90056139) यह उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्र फिंगरप्रिंट टियर I और टियर II फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता है। टियर I और टियर II फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। और एक अन्य उम्मीदवार श्री सुभाष सिंह (रोल नंबर 90010887) की रिपोर्ट में कोई राय नहीं दी जा सकती है क्योंकि टियर I और टियर II फिंगरप्रिंट मिलान के लिए अयोग्य हैं। आवेदन पत्र पर केवल फिंगरप्रिंट आंशिक रूप से मिलान योग्य है लेकिन मिलान के लिए कोई संदर्भ फिंगरप्रिंट उपलब्ध नहीं है। दोनों ने

उम्मीदवार सत्यापन के लिए अनुपस्थित थे।

7 उम्मीदवार श्री प्रवीण डबास की तस्वीर (रोल नं.

90020057) आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं था। उपस्थिति

8 बड़ी संख्या में उम्मीदवार पहले से ही विभिन्न सरकारी विभागों में काम करते पाए गए। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार जैसे विभाग। मंत्रालय एम. सी. डी. आदि "।

18. इससे पहले कि विभाग अपने चल रहे सत्यापन को समाप्त कर पाता, 18 जनवरी 2016 को एफ. आई. आर. 05/2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित अपराध निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत पीएस-एंटी अपशन ब्रांच, दिल्ली में दर्ज किया गया था। ए. सी. बी. अधिकारियों ने 19 फरवरी 2016 को मूल फाइल को जब्त कर लिया। आवेदन पत्रों, ओ. एम. आर. शीर्ष अदालत की रिपोर्टों से युक्त दस्तावेजों की जाली प्रतियां

बाद में 26 फरवरी 2016 को विचाराधीन 290 उम्मीदवारों के संबंध में टियर-I और टियर-II की उपस्थिति पत्रक, टियर-I और टियर-II की उपस्थिति पत्रक जब्त की गईं। दूसरी समिति की रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। 2 मार्च 2016 के अपने नोट में, उप मुख्यमंत्री ने इस प्रकार दर्ज किया:

" 74 इसमें डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा जी. आर. II (डी. ए. एस. एस.) पोस्ट कोड 90/09 के पद के लिए आयोजित परीक्षा का संदर्भ है। सरकार द्वारा प्राप्त कई शिकायतों के परिणामस्वरूप परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले की जांच करने के लिए सतर्कता निदेशालय को भेजा गया था

आरोप लगा रहे हैं। 75 सतर्कता निदेशालय की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैंने डी. एस. एस. एस. बी. को परिणाम की घोषणा के संबंध में बोर्ड द्वारा घोषणा के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रतिरूपण के कथित मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। मैं भी।

निर्देश दिया कि विचाराधीन क्षेत्र के उम्मीदवार जो प्रतिरूपण के सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहे, उन्हें इस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और उक्त अभ्यास के दौरान पाए गए किसी भी प्रतिरूपणकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

डीएसएसएसबी।

76 मैंने डी. एस. एस. एस. बी. को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

परीक्षा केंद्रों के संबंधित अधीक्षकों के खिलाफ जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि पर्यवेक्षकों ने संबंधित उपस्थिति पत्रक में उम्मीदवारों के अंगूठे की छाप। सत्यापन प्रक्रिया डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा सतर्कता निदेशालय की समग्र देखरेख में की जानी थी।

77 डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा यह बताया गया है कि विचाराधीन क्षेत्र के 2,90 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवारों ने सत्यापन के लिए रिपोर्ट नहीं की और 7 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर खामियां पाई गईं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंगूठे की छाप शामिल है जो लाइव प्रिंट के साथ मेल खाने के लिए अनुपयुक्त है; लिखित और हस्ताक्षर में संदिग्ध [संदेह]; टियर I और टियर II परीक्षा में उम्मीदवारों के अंगूठे की बेजोड़ छाप; आवेदन में उपलब्ध नहीं एक उम्मीदवार की तस्वीर।

समान मामलों में दो उम्मीदवारों के फॉर्म और पुलिस रिकॉर्ड।

78 यह ध्यान रखना उचित है कि सत्यापन केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में किया गया है जो विचार के क्षेत्र में हैं और सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

सतर्कता निदेशालय और डी. एस. एस. एस. बी. की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि परीक्षा प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है। एक ही पोस्ट कोड के लिए टियर I परीक्षा के संचालन के बारे में बहुत गंभीर शिकायतें हैं।

79 सरकार में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता है और जो अधिकारी अनुचित जांच के माध्यम से सरकार में शामिल हो सकते हैं, वे स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए इसे रद्द करने की सिफारिश की जाती है।

और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करें। न्याय के हित में सभी प्रभावित उम्मीदवार जो भाग लेने के योग्य पाए जाते हैं उपरोक्त परीक्षा के लिए उपयुक्त आयु में छूट प्रदान की जा सकती है

नई परीक्षा।

80 अनुमोदन करना पसंद कर सकते हैं।"

19. उप मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद 15 मार्च 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। चयन प्रक्रिया।

ग न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही

20. प्रारंभ में, डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा कार्रवाई करने में विफलता से पीड़ित तीन उम्मीदवारों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. 3941/2015 दायर किया गया था।

उनका प्रतिनिधित्व दिनांक 3 सितंबर, 2015 का है। अपने प्रतिनिधित्व में, इन उम्मीदवारों ने तर्क दिया था कि अनियमितताओं के आरोप थे

परीक्षा लिखने का एक और मौका मिलने की उम्मीद में असफल उम्मीदवारों द्वारा किया गया। ओए 1587/2016 तीन अन्य उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किया गया था।

15 मार्च 2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश के जारी होने के बाद।

21. न्यायाधिकरण ने 1 फरवरी 2017 के अपने निर्णय द्वारा ओ. ए. 3941/2015 की अनुमति दी। न्यायाधिकरण के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:

चयन प्रक्रिया का रद्द होना केवल इस प्रकार होना चाहिए

(1)

अंतिम उपाय की बात और अस्पष्टता के आधार पर नहीं

असफल उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए आरोप;

((ख)

दागी से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए बेदाग उम्मीदवार और चयन प्रक्रिया होनी चाहिए

केवल वहाँ रद्द किया जाता है जहाँ ऐसा करना असंभव है;

पूरी प्रक्रिया को दूषित करने के लिए, अनियमितताओं को होना चाहिए

(iii)

ऐसी प्रकृति का होना जिससे अलग होना असंभव हो बाकी से मेधावी उम्मीदवार; और [2021] 2 एस. सी. आर.

((iv) इस तरह की कवायद किए बिना पूरी परीक्षा को रद्द करना मनमाना और अनुचित होगा, भले ही सफल उम्मीदवारों के पास अक्षम्य योग्यता न हो।

नियुक्त होने का अधिकार।

सफल उम्मीदवारों को दी जाने वाली नियुक्तियां ए. सी. बी. की जांच के अधीन होंगी। 27 फरवरी के अपने बाद के आदेश में 2017 , ओ. ए. 1578/2016 में न्यायाधिकरण ने अपने पहले के आदेश का पालन किया और वही निर्देश जारी किया।

डी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

23. डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा स्थापित रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के फैसले पर सवाल उठाया गया था।

संविधान का अनुच्छेद 226। याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान,

हस्तक्षेप आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष उन उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए थे जिन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू नहीं की थी। उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप की मांग करने वाले उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफल होने का दावा किया और कहा कि यदि उच्च न्यायालय याचिकाओं की अनुमति देता है और 15 मार्च 2016 के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने को बरकरार रखता है तो वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को खारिज कर दिया और उस संबंध में 15 दिसंबर 2017 के अपने आदेशों में से एक इस प्रकार है:

" सीएम नं. 34652/2017 & 43985/2017 (द्वारा

आदेश I नियम 10 सी. पी. सी. के तहत हस्तक्षेपकर्ता)

1. वर्तमान आवेदन आवेदकों द्वारा इस आधार पर दायर किए गए हैं कि उन्हें डाक कोड के लिए विज्ञापन No.004/2d09 के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवार घोषित किया गया था

No.90/09।

चिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

2. आवेदक के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि

ओ. ए. द्वारा दायर दिनांक 01.02.2017 का विवादित निर्णय

उत्तरदाताओं ने शिकायत की कि पूरा पूरा होने के बाद विषय पद को भरने के लिए अभ्यास, डीएसएसएसबी ने परीक्षा की योग्यता के अनुसार चयन सूची जारी नहीं की थी और इसके बजाय पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। उक्त ओ. ए. को अनुमति देते हुए, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरी परीक्षा को रद्द करने के लिए पारित दिनांक 15.03.2016 के आदेश को रद्द कर दिया था और डी. एस. एस. एस. बी. को ग्रेड-II (डी. ए. एस. एस.), पोस्ट कोड 90/09 के लिए चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था।

29.03.2015 . 3. आवेदकों के लिए विद्वान वकील का कहना है कि चूंकि वे उपरोक्त परीक्षा में सफल रहे हैं, इसलिए वर्तमान में कोई भी निर्णय

चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के निर्देश को चुनौती देने वाला मामला। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित, उन्हें प्रभावित करने की संभावना है

प्रतिकूल।

4. हमारे विचार में, वर्तमान याचिका में आवेदकों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब कार्रवाई का कारण, यदि

किसी भी, 15.03.2016 पर उनके पक्ष में अर्जित किया था, जब

याचिकाकर्ताओं/डी. एस. एस. एस. बी. ने पूरी परीक्षा को रद्द करने के लिए आगे बढ़े थे, जिसे स्वीकार किया गया था, उनके द्वारा कभी भी याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी गई थी। न ही उन्होंने दायर ओ. ए. में अभियोग लगाने की मांग की थी

उत्तरदाताओं।

5. ऐसी परिस्थितियों में, हम वर्तमान आवेदनों को अनुमति देने का कोई कारण नहीं देखते हैं जिन्हें गुणदोष के बिना खारिज कर दिया जाता है।

24. डिवीजन बेंच ने 13 जनवरी 2020 को अपने फैसले में कहा कि

वेद कि:

286 रिक्तियां जिनके लिए परामर्श विचाराधीन है

((i)

जारी किया गया था जो भरा नहीं गया था और इसके खिलाफ रिक्तियां थीं जिन छह उम्मीदवारों ने न्यायाधिकरण का रुख किया था

नियुक्ति को समायोजित किया जा सकता है;

((ख)

न्यायाधिकरण के आदेशों का दायरा सीमित होगा इसके समक्ष छह आवेदकों और इसके दायरे के लिए

कार्यवाही उनसे आगे नहीं बढ़ेगी; [2021] 2 एस. सी. आर.

(iii)

वर्तमान मामले में, एक विस्तृत जांच के माध्यम से जो दोनों समितियों द्वारा संचालित, यह निर्धारित करना संभव था कि कम से कम 281 उम्मीदवारों के संबंध में अनुचित साधनों के उपयोग का कोई सबूत नहीं था;

((iv)

जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा एक विस्तृत जांच की गई थी और

न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक, दागी लोगों में से; और डीएसएसएसबी और जीएनसीटीडी यह प्रदर्शित करने में असमर्थ थे कि कोई भी

(v)

न्यायाधिकरण का रुख करने वाले छह आवेदकों में से

कदाचार में लिप्त।

25. उपरोक्त परिसर को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालयः

1 फरवरी 2017 के न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि की

((i)

इस न्यायालय के उदाहरणों के अनुरूप होने के रूप में;

((ख)

अभिनिर्धारित किया कि आदेशों को बाधित करने का कोई कारण नहीं था

न्यायाधिकरण दिनांक 1 फरवरी 2017 और 27 फरवरी 2017, हालांकि उन छह उम्मीदवारों तक सीमित था जिन्होंने याचिका दायर की थी।

न्यायाधिकरण; और

((iv) अभिनिर्धारित किया कि उक्त छह उम्मीदवारों में से प्रत्येक जो थे

उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं को दो महीने के भीतर डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित की जाने वाली टियर-II परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उनमें से जो योग्य होंगे, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उच्च न्यायालय के निर्देश "ए. सी. बी. द्वारा चल रही जाँच के रूप में किसी भी बाद के विकास के अधीन" बनाए गए थे।

ई-प्रस्तुतियाँ

26. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. की ओर से प्रस्तुत करने का आग्रह किया:

((i)

पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित पाया गया

धोखाधड़ी जिसके परिणामस्वरूप दागी को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना असंभव हो गया। इसके परिणामस्वरूप अंततः पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया

जैसा कि यह छुटकारे से परे पाया गया था;

((ख)

भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद, कई उम्मीदवारों में Â UMAR v के बड़े समूह में शामिल थे।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन ओ (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

281 2017 और 2020 में आयोजित परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने के बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लिया:

2017 की भर्ती परीक्षा में 281 में से 133

.

उम्मीदवारों ने भाग लिया जिनमें से 13 थे

चुना गया।

2020 की भर्ती प्रक्रिया में 281 व्यक्तियों में से 87 ने भाग लिया, जिनमें से 3 शॉर्टलिस्ट किए गए थे।

वर्तमान मामले में एक व्यापक प्रक्रिया की गई थी।

इसमें शामिल

(क) पहली समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट;

प्रथम समिति की रिपोर्ट; और

(ख)

((ग) दूसरी समिति की रिपोर्ट।

उपरोक्त अभ्यास के परिणामस्वरूप निष्कर्ष सामने आए कि

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित हो गई थी

निम्नलिखित कारण:

सभी आवेदकों को प्रवेश पत्र प्रदान नहीं किए गए थे

(अ)

जिसके परिणामस्वरूप 62,000 में से केवल 8,000 उम्मीदवार प्रथम श्रेणी की परीक्षा में उपस्थित हुए

अनुप्रयोग;

तारीख के बीच पांच साल की देरी

(ख)

विज्ञापन और श्रेणी-I का आयोजन

परीक्षा के साथ-साथ सभी आवेदकों को प्रवेश पत्रों का उचित वितरण सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां समान पहुंच से इनकार कर दिया गया था सभी संभावित उम्मीदवारों के लिए;

उम्मीदवारों का भौगोलिक कवरेज किया गया है

((ग)

बेहद सीमित पाया गया: टियर-I परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी 8,224 उम्मीदवारों में से लगभग 55 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 4,712 उम्मीदवार दिल्ली के केवल 22 पिन कोड तक ही सीमित थे, जबकि कुल 609 पिन कोड थे। उम्मीदवारों ने आवेदन किया था;

((घ)

टियर-I परीक्षा के परिणामों ने संकेत दिया कि वहाँ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अत्यधिक उच्च अंक प्राप्त किए थे, लेकिन जो या तो उपस्थित होने में विफल रहे थे या कम जे. पी. आर. ई. एम. कोर्ट रिपोर्ट प्राप्त की थी।

आगामी टियर-II परीक्षा में अंक। यह मानने का एक उचित आधार है कि ये उम्मीदवार प्रामाणिक नहीं थे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र काफी हद तक बेहतर हो।

उन लोगों के लिए संकुचित जो अंततः टियर-II परीक्षा में उपस्थित होंगे और उत्तीर्ण होंगे;

(ई)

यादृच्छिककरण की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था

जिसके परिणामस्वरूप एक ही परिवार या करीबी रिश्तेदारों से संबंधित व्यक्तियों को एक ही परीक्षा केंद्र सौंपा गया और उसी में टियर-I परीक्षा के लिए बैठ गए।

परीक्षा कक्ष;

(च)

उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यताएँ थीं -

सत्यापित नहीं किया गया; और इस संबंध में गंभीर संदेह थे कि क्या

(जी)

जैमर लगाने और वीडियो ग्राफिंग के लिए व्यवस्था पूरी तरह से कार्यात्मक थी।

प्रतिरूपण को समग्र रूप से क्लीन चिट दिए जाने के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरी समिति की रिपोर्ट के बाद, एक अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी था जब अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को देखते हुए, पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उस समय जब प्रतिरूपण को सत्यापित करने के उद्देश्य से दूसरी समिति नियुक्त की गई थी, कुमार V.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनडी (डीएसएसएसबी) [डी. आर.] धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

चयन क्षेत्र के उम्मीदवारों के बीच, सरकार ने अभी तक पहली समिति की रिपोर्ट पर अपना दिमाग नहीं लगाया था। अंततः जब सरकार ने पहली समिति की रिपोर्ट और निदेशक (सतर्कता) की रिपोर्ट पर अपना दिमाग लगाया, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया। यह वैध था क्योंकि 23 दिसंबर 2015 तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।

प्रथम समिति की रिपोर्ट; सभी 281 उम्मीदवार जिन्हें प्रतिरूपण के लिए सत्यापित किया गया था

दूसरी समिति द्वारा बेदाग नहीं माना जा सकता है;

उनमें से कई बेदाग हो सकते हैं लेकिन अन्य सभी कारकों को संचयी रूप से पढ़ना होगा। जब परीक्षा प्रक्रिया

इसकी पवित्रता से वंचित कर दिया गया है, इसे पूरी तरह से रद्द करने का उचित निर्णय लिया गया था। यह निर्णय इस न्यायालय के उदाहरणों के अनुरूप था जो इसके लिए एक प्राधिकरण हैं यह प्रस्ताव कि, जब परीक्षा प्रक्रिया प्रणालीगत खामियों से घिरी हुई है, तो समग्र रूप से प्रक्रिया दूषित हो जाती है, और इस बात पर जोर देना गलत होगा कि गलत काम के प्रत्येक व्यक्तिगत उदाहरण को चुनौती दी जाए और संबोधित किया जाए।

दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि उम्मीदवारों में से कुछ बेदाग हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को रद्द करने के सरकार के फैसले को नकार नहीं सकता है जब पूरी प्रक्रिया

जाँच में गंभीर बीमारी पाई गई है अनियमितताएँ; और

किसी भी मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम

उप मुख्यमंत्री के निर्णय ने अनुदान की परिकल्पना की

आयु में छूट के लिए, सभी उम्मीदवार बाद की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र थे। वास्तव में, ए

उनमें से बड़ी संख्या में बाद में दिखाई दिए हैं। परीक्षाएँ। नतीजतन न्यायाधिकरण द्वारा राहत देना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था। न्यायाधिकरण विफल रहा

उन कमियों पर ध्यान दें जो टियर-I परीक्षा में देखी गई थीं, और इस त्रुटि ने निर्णय को प्रभावित किया है

उच्च न्यायालय से भी।

वरिष्ठ वकील आई. आर. पी. एस. पटवालिया ने उम्मीदवारों की दलीलों का नेतृत्व किया। निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है:

डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा शुरू की गई जांच शिकायतों के आधार पर थी, जो सभी संभावनाओं में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के इशारे पर थी।

21] 2 एस सी आर।

असंतुष्ट उम्मीदवार जो सफल नहीं हुए थे

परीक्षाएँ;

रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई जांच नहीं हुई थी

((ख)

शिकायतों की प्रामाणिकता में; और

(iii)

इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था अनुमानों से।

28. श्री पटवालिया ने अपनी दलीलों के बारे में विस्तार से बताते हुए आग्रह किया कि 9 नवंबर 2015 को डीएसएसएसबी ने एक व्यापक और विस्तृत नोट प्रस्तुत किया। उप-मुख्यमंत्री को अपनी टिप्पणियाँ देते हुए। नोट पर तीन आई. ए. एस. अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर और समर्थन किया गया था जिन्होंने एक बोर्ड का गठन किया था, जिनके अलावा दस अन्य अधिकारी थे। निवेदन यह है कि प्रत्येक पहलू पर जो पहली और दूसरी जांच में उठाया गया था

समिति की रिपोर्ट के अनुसार, डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा एक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह स्थापित किया गया था कि परीक्षाओं के संचालन में कोई अनियमितता नहीं थी। विशेष रूप से, श्री पटवालिया ने निम्नलिखित विशेषताओं पर जोर दिया:

((i)

डी. एस. एस. एस. बी. ने स्पष्ट किया कि 5 जून 2013 को उसने यह निर्णय लिया था कि

इसके द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाएंगे। वर्तमान में

इस मामले में, चूंकि विज्ञापन 2009 में जारी किया गया था, इसलिए आवेदकों के पते में बदलाव हुआ होगा। इस निर्णय का विज्ञापन छह समाचार पत्रों में किया गया था, इसलिए

उम्मीदवार इस तथ्य से अवगत थे कि प्रवेश पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किए जाएंगे और वास्तव में टियर-I परीक्षा के लिए अधिसूचना शामिल थी।

ई-प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी। किसी भी उम्मीदवार ने हार्ड कॉपी प्रवेश पत्र से सॉफ्ट कॉपी प्रवेश पत्र में बदलाव के बारे में शिकायत नहीं की। यदि यह एक वास्तविक चिंता थी, तो शिकायतें

उचित रूप से उठाया गया है;

((ख)

यादृच्छिककरण को प्रासंगिक समय पर अपनाया नहीं जा सका सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति के कारण। लेकिन परीक्षाओं के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए कि अनुचित साधन न अपनाए जाएं। प्रश्न पत्र

पुस्तिकाओं की चार श्रृंखलाओं में मुद्रित किए गए थे जो निकटता में बैठे उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग के खिलाफ पर्याप्त गारंटी प्रदान करते थे। बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया; सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

(111) कोई भी परीक्षा पूरी तरह से बेदाग नहीं होती। प्रक्रिया के बारे में शिकायतें गुमनाम स्रोतों द्वारा की गई थीं जो विश्वास को प्रेरित नहीं करती हैं। सफल उम्मीदवारों की संदिग्ध भौगोलिक एकाग्रता पर, यूपीएससी परीक्षा जैसी परीक्षाओं के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। इसकी मज़बूती को कहने के लिए यह एक वैध आधार नहीं हो सकता है

प्रश्न में प्रक्रिया; और

(iv) वीडियोग्राफी आयोजित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए थे।

29. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया है कि डी. एस. एस. एस. बी. की सिफारिशों के आधार पर, उप मुख्यमंत्री ने एक 23 दिसंबर 2015 को यह सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया कि क्या चयन क्षेत्र में उम्मीदवार प्रतिरूपण के दोषी थे।

वास्तव में यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी क्योंकि डी. एस. एस. एस. बी. ने स्वयं अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर सत्यापन करने की प्रक्रिया में था।

प्रतिरूपण। आखिरकार, एक विस्तृत अभ्यास करने के बाद, दूसरी समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि 281 उम्मीदवार दाग से मुक्त थे। एक बार, उप मुख्यमंत्री ने डी. एस. एस. एस. बी. की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, जांच को इस तक सीमित कर दिया था कि क्या चयन क्षेत्र के भीतर उम्मीदवारों द्वारा कोई प्रतिरूपण किया गया था, यह एकमात्र मुद्दा था जिसे हल किया जाना बाकी था। दूसरी समिति की रिपोर्ट पर यह पाया गया कि 281 उम्मीदवार दाग से मुक्त थे। न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह था

इस बात पर जोर दिया कि

ए. सी. बी. की जाँच केवल उन्हीं तक सीमित थी

((i)

जिन उम्मीदवारों के आचरण पर संदेह था;

ए. सी. बी. की स्थिति रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 281 उम्मीदवार

((ख)

जाँच का हिस्सा नहीं बना; और

(111) दूसरी समिति द्वारा आयोजित अभ्यास के परिणामस्वरूप, दागी उम्मीदवारों की पहचान करना और उन्हें बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव था।

30. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ

वकील ने आग्रह किया कि चयन प्रक्रिया को रद्द करने को दरकिनार करने का न्यायाधिकरण का निर्णय स्पष्ट रूप से उचित और उचित है। इसके अलावा, यह था

आग्रह किया कि जिन छह उम्मीदवारों ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था और जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गई है, उन्हें परिणाम [2021] 2 एस. सी. आर. रद्द होने के बाद टियर-2 परीक्षाओं में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

अलग कर दिया गया है। जहां तक उन उम्मीदवारों का संबंध है जिन्होंने न्यायाधिकरण का रुख नहीं किया था, यह आग्रह किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश का लाभ 281 व्यक्तियों के समूह में से सभी उम्मीदवारों को मिलना चाहिए जो दाग से मुक्त पाए गए हैं।

31. श्री चंद्र शेखर, विद्वान वकील उन उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप किया था और जिनके

दिसंबर 2015। इसलिए, एक बार जब प्रतिरूपण के मुद्दे की जांच की गई और दूसरी समिति की रिपोर्ट के माध्यम से सुलझा लिया गया, तो दागी उम्मीदवारों को उन उम्मीदवारों से अलग करना संभव हो गया जिनके खिलाफ कोई दाग नहीं पाया गया था। विद्वान वकील ने कहा कि वे भी जिन उम्मीदवारों ने न्यायाधिकरण का रुख नहीं किया था, वे इसके हकदार होने चाहिए

उसके निर्णय का लाभ। यह आग्रह किया गया कि चूंकि न्यायाधिकरण ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के पूरे फैसले को दरकिनार कर दिया था, इसलिए उम्मीदवारों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का कोई अवसर नहीं था। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष उत्पन्न होने वाला सामान्य मुद्दा परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता के संबंध में था। एक बार जब यह पाया गया कि टियर-I और टियर-II परीक्षाओं में अनियमितता नहीं थी, तो दूसरी समिति की रिपोर्ट द्वारा सत्यापित किए गए 281 व्यक्तियों में से सभी उम्मीदवार उच्च न्यायालय के आदेश के लाभ के हकदार होंगे, और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश का लाभ केवल छह उम्मीदवारों तक सीमित रखने में गलती की।

32. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। एफ कानून में स्थिति

33. एस. एल. पी. के इस समूह को तय करने में, हमें चक्र का पुनः आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले पाँच दशकों में, इस न्यायालय के कई निर्णयों ने इस मौलिक मुद्दे पर विचार किया है कि परीक्षा की प्रक्रिया कब दूषित हो सकती है। अनिवार्य रूप से, इस मुद्दे का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रक्रिया में अनियमितताएं एक प्रणालीगत स्तर पर हुई हैं ताकि प्रक्रिया की पवित्रता को दूषित किया जा सके। ऐसे मामले हैं जो धोखाधड़ी के क्षेत्र में सीमा पार या पार हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप

प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता को नकार दिया जाता है। यह स्पेक्ट्रम के एक छोर का गठन करता है जहां परीक्षा आयोजित करने या चयन प्रक्रिया का आयोजन करने वाला प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पर्यवेक्षण घटना या परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, प्रक्रिया ने अपनी वैधता खो दी है, सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

इसे पूरी तरह से रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जहाँ एक निर्णय के साथ उन पंक्तियों को लिया जाता है, यह एक तथ्य-खोज अभ्यास को व्यक्तिगत कार्यों में नहीं बदलता है जिसमें दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं या अनुचित साधनों का उपयोग शामिल है। जहाँ प्रणालीगत पैमाने पर अनुचित साधनों का सहारा लिया गया है, वहाँ इस प्रक्रिया में दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल हो सकता है। बड़े पैमाने पर अनियमितताएं जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका प्रभाव पड़ता है

समान परिस्थिति वाले उम्मीदवारों को समान पहुंच से वंचित करना

एक अस्वस्थता का संकेत जिसने प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर ऐसे मामले हैं जहां प्रक्रिया में कुछ प्रतिभागी जो परीक्षा या चयन परीक्षा में उपस्थित होते हैं, अनियमितताओं के दोषी होते हैं। ऐसे मामले में, गलत काम करने के दोषी व्यक्तियों को नियमों का पालन करने वाले अन्य लोगों से अलग करना और पहले वाले को प्रक्रिया से बाहर करना संभव हो सकता है। ऐसे में, जो लोग गलत काम करने में निर्दोष हैं, उन्हें उन लोगों के लिए कीमत नहीं चुकानी चाहिए जो वास्तव में अनियमितताओं में शामिल पाए जाते हैं। गलत करने वालों को अलग करके, बेदाग उम्मीदवारों के चयन को चयन प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाकर पास करने की अनुमति दी जा सकती है। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि सेवा न्यायशास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में यह संवैधानिक कर्तव्य में मूर्त रूप पाता है जिसके द्वारा सार्वजनिक निकायों को निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करना होता है। अनुच्छेद 16 (1) के तहत अवसर की समानता के मानदंड के अधीन पदों के चयन की एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया एक संवैधानिक आवश्यकता है। एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया अनुच्छेद 14 की भी एक मौलिक आवश्यकता है। जहाँ सार्वजनिक रोजगार में भर्ती प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप दूषित हो जाती है, वहाँ पूरी प्रक्रिया

अवैध हो जाता है। दूसरी ओर, जहां दुराचार में लिप्त व्यक्तियों को अलग करना और उन्हें दंडित करना संभव है

उनका गलत काम करना, उनके गलत काम का बोझ उन लोगों पर थोपना अनुचित होगा जो दाग से मुक्त हैं। पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के परिणाम के लिए निर्दोष और गलत करने वालों के साथ समान व्यवहार करना अनुच्छेद 14 के विपरीत होगा क्योंकि तब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह आवश्यकता कि एक सार्वजनिक निकाय को निष्पक्ष और उचित शब्दों में कार्य करना चाहिए, चयन की पूरी प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इसलिए भर्ती निकाय के निर्णय न्यायिक नियंत्रण के अधीन हैं जो इस तय किए गए सिद्धांत के अधीन हैं कि भर्ती प्राधिकरण के पास कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए विवेक का एक उपाय होना चाहिए जो प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अब

इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के उदाहरणों का विज्ञापन करना उचित हो जाता है जो इस क्षेत्र को धारण करते हैं।

21] 2 एस सी आर।

34. चार दशक से अधिक समय पहले, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम. सुभाष चंद्र सिन्हा और अन्य 3, इसकी तीन न्यायाधीशों की पीठ

अदालत ने बिहार के एक जिले में एक विशेष केंद्र के संबंध में वार्षिक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई की। इस न्यायालय के फैसले में निहित निम्नलिखित उद्धरणों में केंद्र में अनियमितताओं का सारांश दिया गया था:

" 5. हंसवाडीह केंद्र के सारणीकारों ने बताया कि सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत 80 प्रतिशत था जबकि आरा, डालीपुर केंद्र में औसत केवल 50 प्रतिशत था। वे.

इसलिए उन्हें विषयवार प्रतिशत तैयार करने के लिए कहा गया। सभी सारणीकारों ने ये प्रतिशत प्रस्तुत किए। यह मामला बोर्ड की अनुचित साधन समिति को भेजा गया था। समिति ने अपने बदले में मध्यस्थों को उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए कहा जहां प्रतिशत 80 प्रतिशत या उससे अधिक था। उन्होंने बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों की सूचना दी। इसके बाद सभापति ने 30 अगस्त, 1969 को एक आदेश पारित किया जिसमें हंसवाडीह केंद्र में सभी विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को सितंबर, 1969 में नए शुल्क का भुगतान किए बिना पूरक परीक्षा में फिर से उपस्थित होने की अनुमति दी गई। संबंधित तीनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी पंजीकृत पत्रों द्वारा सूचित किया गया था। अध्यक्ष की कार्रवाई को सितंबर में बोर्ड की बैठक में रखा गया था।

9 , 1969 और उसे मंजूरी दे दी गई। वापसी में कहा गया था कि जगदीशपुर के सतनारायण सिंह से एक शिकायत मिली थी, जिन्होंने हालांकि एक पत्र लिखा था कि उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी।"

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्रवाई को रद्द कर दिया था कि परीक्षा देने वालों को कारण नहीं दिखाया गया था और जिन सामग्रियों पर अध्यक्ष ने आदेश पारित करने के लिए भरोसा किया था, उनका खुलासा नहीं किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने अदालत की ओर से बोलते हुए कहा कि "परिणाम अपने लिए बोलते हैं: जबकि अन्य केंद्रों पर सफल उम्मीदवारों का औसत 50 प्रतिशत था, एक विशेष केंद्र पर सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत व्यक्तिगत विषयों में 70 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक था। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा:

" 13. यह किसी विशेष व्यक्ति का मामला नहीं है जिस पर अनुचित साधनों को अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है, बल्कि सभी परीक्षार्थियों या कम से कम उनमें से अधिकांश के किसी विशेष केंद्र में आचरण का मामला है। यदि यह किसी पर व्यक्तिगत रूप से अनुचित साधनों से आरोप लगाने का सवाल नहीं है, लेकिन परीक्षा को अप्रभावी बताते हुए इसकी निंदा करने का सवाल है।

3 (1970) 1 एस. सी. सी. 648 चिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

जिसका उद्देश्य रखा गया था। क्या बोर्ड को सभी उम्मीदवारों को अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना चाहिए? हम नहीं सोचते हैं। यदि समग्र रूप से परीक्षाएँ रद्द की जा रही हैं तो बोर्ड के लिए उम्मीदवारों को अवसर देना आवश्यक नहीं था। बोर्ड ने किसी पर अनुचित साधनों का आरोप नहीं लगाया था ताकि वह अपना बचाव करने का दावा कर सके। परीक्षा को अपनाने से दूषित कर दिया गया था

बड़े पैमाने पर अनुचित साधन। इन परिस्थितियों में इस बात पर जोर देना गलत होगा कि बोर्ड को मामले की विस्तृत जांच करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच करनी चाहिए ताकि वह संतुष्ट हो सके कि किन उम्मीदवारों ने अनुचित तरीके नहीं अपनाए थे। समग्र रूप से परीक्षा देनी पड़ी।

न्यायालय ने पहले के एक निर्णय को अलग करते हुए कहा कि:

" 14. रिलायंस को घनश्याम दास गुप्ता मामले [(1962) 3 पूरक एस. सी. आर. 36] पर रखा गया था, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। वहाँ तीन उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए, और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन्हें अपने आचरण को समझाने का अवसर मिलना चाहिए था। यह कहा गया था कि भले ही जांच

समिति को इस तरह की जांच के संचालन के लिए उचित नियम बनाने चाहिए लेकिन इनकार नहीं करना चाहिए

मौका मिलता है। हमें नहीं लगता कि उस मामले का कोई अनुप्रयोग है। निश्चित रूप से यह अभिप्रेत नहीं था कि जहां परीक्षा

संपूर्ण रूप से दूषित किया गया था, जैसे कि कागजातों के रिसाव से या कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करके या बड़े पैमाने पर प्रचलित अनुचित साधनों की खोज से कि हर एक को उस पर उपस्थित होने का मौका देते हुए एक जांच की जाएगी।

उसकी बात रखने के लिए जाँच? न्यायालय ने जो निर्धारित करने का इरादा किया था वह यह था कि यदि कोई विशेष व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके पास अपना बचाव करने का उचित मौका होना चाहिए और इससे अवसर देने की आवश्यकता को कम नहीं किया गया, भले ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों की संख्या बड़ी थी। न्यायालय तब अपनी परीक्षा को रद्द करने के लिए एक परीक्षण निकाय के अधिकार पर विचार नहीं कर रहा था, जब यह संतुष्ट था कि परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं की गई थी या परीक्षा के संचालन में अधिकांश परीक्षार्थियों ने स्वयं का संचालन नहीं किया था जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। इस तरह के निर्णय लेने के लिए एक पूर्ण न्यायिक जांच पर निर्भर होना विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्ड जैसे स्वायत्त निकायों के कामकाज को रोक देगा। जबकि हम [2021] 2 एस. सी. आर. को कम नहीं करना चाहते हैं।

प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की आवश्यकताएँ-ऐसे मामलों में जहाँ

यह कहा जा सकता है कि आवश्यकता उत्पन्न हो, हम नहीं चाहते कि यह न्यायालय

प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा हर मामले में पहले होना चाहिए, हालांकि अलग-अलग। विश्वविद्यालय अपने मानकों के लिए जिम्मेदार हैं और

परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाओं का सार है कि बिना किसी सहायता के प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है

बाहरी स्रोत से। यदि एक केंद्र में छात्रों का पूरा शरीर

सहायता प्राप्त करते हैं और सफलता प्राप्त करने में कामयाब होते हैं

केवल 50 प्रतिशत के औसत पर सफल, यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय या बोर्ड को इस मामले में कुछ करना चाहिए। यह नहीं हो सकता।

अपने पूर्व छात्रों के अधिकार के साथ एक विस्तृत अर्ध-न्यायिक जांच आयोजित करें

परिणाम रोके जाने या रोके जाने से पहले दलील दें और साक्षय आदि का नेतृत्व करें।

यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपने मामले में सही था। यह निष्कर्ष निकालना कि तब परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए

शैक्षणिक मानकों के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय की सराहना

समस्या का सम्मान किया जाना चाहिए। यह अदालत के लिए काम नहीं करेगा

कहें कि आपको सभी उम्मीदवारों की जांच करनी चाहिए थी या यहाँ तक कि

सहायता मिली या नहीं। ऐसा करने से प्रोत्साहन मिलेगा। अनुशासनहीनता अगर झूठी गवाही भी नहीं। "

(जोर दिया गया)

35. अनामिका में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

मिश्रा) में उत्तर प्रदेश राज्य की शैक्षिक सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती शामिल थी। दो चरणों में हुई थी भर्ती एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। यह पाया गया कि लिखित परीक्षा के बाद,

कंप्यूटर में डेटा के अनुचित फीड के कारण, कुछ उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था

साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता था और कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को न केवल साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था, बल्कि अंत में उनका चयन किया जाता था। लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। निपटान स्थिति के साथ, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 4. हमने पक्षकारों के वकील को सुना है और हमारा विचार है

कि जब लिखित के संबंध में कोई दोष नहीं बताया गया था

(1990) सप.

एस. सी. सी. 692 सचिन कुमार बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

परीक्षा और एकमात्र आपत्ति लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के एक समूह को साक्षात्कार से बाहर करने तक सीमित थी, भर्ती परीक्षा के लिखित भाग को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरी ओर, भर्ती को अलग करके और लिखित परीक्षा के आधार पर सभी योग्य उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार के लिए कहकर और लिखित और नए साक्षात्कार के आधार पर पात्र होने वालों का चयन करके स्थिति का उचित रूप से सामना किया जा सकता था।

चयन "।

इसलिए यह मामला एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं माना गया था क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई प्रणालीगत दोष नहीं था, और मुद्दा केवल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के संबंध में था। साक्षात्कार चरण के बाद किए गए चयन को अलग करके और सभी योग्य उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार के लिए बुलाकर स्थिति को ठीक किया जा सकता था। यह अंतिम निर्देश है जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया था।

36. मध्यम शिक्षा मंडल में, एम. पी. बनाम. अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति 5, उच्च न्यायालय ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद पूरी परीक्षा को रद्द करने के सांसद माध्यमिक शिक्षा मंडल के फैसले में हस्तक्षेप किया था, जिसमें पाया गया था कि छात्र सामूहिक नकल में लिप्त थे। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से पता चला

कि केंद्र के दौरे के दौरान, छात्र प्रश्न पत्र वितरित होने से पहले ही नकल करने में लिप्त थे, यह दर्शाता है कि प्रश्न पत्र का रिसाव हुआ था। शिक्षकों ने छात्रों के पुस्तकों और नकल की गई सामग्री के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जो उनकी संलिप्तता का संकेत देता है। यह मानते हुए कि रद्द करने को दरकिनार करने के लिए उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अस्थिर था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 2. [.....] इस सामग्री के सामने, हम उच्च न्यायालय में परीक्षा को रद्द मानने के लिए बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र समुदाय परीक्षाओं में सफल होने के लिए इस तरह के तरीकों का सहारा लेता है और फिर उनमें से कुछ यह तर्क देने के लिए आगे आते हैं कि निर्दोष छात्र अपने साथियों के इस तरह के दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। इससे कोई मदद नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में बोर्ड के पास परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बोर्ड के लिए कदाचार में लिप्त निर्दोष छात्रों की पहचान करना बेहद मुश्किल है। किसी को इसके लिए खेद हो सकता है

5 (1998) 9 एस. सी. सी. 236 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[20

21] 2 एस सी आर।

निर्दोष छात्र लेकिन जिस स्थिति में बोर्ड को रखा गया था और जहां तक इस परीक्षा का संबंध था, उसके लिए उपलब्ध विकल्पों की सराहना करनी चाहिए। उसके पास परिणामों को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और हमें लगता है कि इन परिस्थितियों में ऐसा करना उचित था।

37. दूसरी ओर, भारत संघ बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। राजेश पी. यू. पुथुवलनिकाथुओ ने एक

ऐसी स्थिति जहां शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों की ओर से पक्षपात के आरोपों और लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के कारण सी. बी. आई. में सिपाहियों के पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक फिटनेस परीक्षण के परिणामस्वरूप एक चयन सूची को रद्द कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के समक्ष रद्द करने की चुनौती विफल हो गई जिस पर उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई। निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी, जो

सावधानीपूर्वक जाँच में पाया गया कि 31 उम्मीदवार जो अन्यथा थे

अयोग्य उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल किया गया और समान संख्या में योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने पाया कि पूरे चयन को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था, जब योग्यता के मूल्यांकन में अनियमितताओं के प्रभाव की विशेष रूप से पहचान की जा सकती थी और अभिलेखों के सत्यापन पर पाया गया था कि इसके परिणामस्वरूप 31 उम्मीदवारों का चयन अयोग्य रूप से किया गया था। इसे बनाए रखना उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:

" 6. [...] उपरोक्त के आलोक में और किसी ठोस और प्रासंगिक द्वारा समर्थित किसी विशिष्ट या स्पष्ट निष्कर्ष के अभाव में

अपने आप में पूरी तरह से या समग्र रूप से और एक या दूसरी अनियमितताओं या अवैधताओं के लाभार्थियों को निकालना असंभव था, यदि कोई हो, तो अन्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से इनकार करने के लिए कानून में शायद ही कोई औचित्य था, जिनके चयन को किसी भी तरह से किसी एक या अन्य कारण से दूषित नहीं पाया गया था। रद्द करने के लिए एकतरफा कठोर और मनमाना मानक लागू करना

इस दृढ़ और सकारात्मक जानकारी के बावजूद कि ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से 31 को छोड़कर, दूसरों के संदर्भ में कोई कमजोरी नहीं पाई जा सकी है, चयन की संपूर्णता प्रासंगिकता की पूर्ण उपेक्षा और अपरिवर्तनीयताओं द्वारा दूर ले जाने की अनुमति देने के अलावा और कुछ नहीं है।

6 (2003) 7 एस. सी. सी. 285 सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

परिस्थितियों से निपटने के लिए जो सख्ती से और उचित था, उससे अधिक दूर जाने में आनुपातिकता के सिद्धांत को हवा में फेंकने वाले प्रासंगिक विचारों पर पूरी तरह से विचार करें। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने ऐसा लेने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया पूरे चयन को रद्द करने का एक चरम और अनुचित निर्णय, पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक, यहां तक कि तथ्यात्मक स्थिति पर भी पाया गया, और जो दांव पर था उसकी प्रकृति और गंभीरता से पूरी तरह से अधिक था, जिससे वस्तुतः ऐसा होता है

अतार्किक होने का निर्णय "।

38. इंदरप्रीत सिंह काहलों बनाम में निर्णय। की स्थिति

पंजाब '(' इंदरप्रीत सिंह काहलों '), एक बार फिर दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक मामला शामिल किया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पंजाब लोक सेवा आयोग (पी. एस. सी.) के अध्यक्ष ने 1998 और 1998 के बीच बाहरी विचारों के आधार पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों की नियुक्ति की थी।

2001. राज्य सरकार ने पी. एस. सी. (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं 1998 में भर्ती के लिए पूरे चयन को रद्द कर दिया। दो जांच समितियों की नियुक्ति की गई और उनकी रिपोर्टों को स्वीकार करने के बाद, 1998-2000 के लिए रिक्तियों के लिए आयोग द्वारा किए गए चयन के आधार पर नियुक्त किए गए लोगों की सेवाएं निर्धारित की गईं।

समाप्त हो गया। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस अदालत के समक्ष अपील में, न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने अपने फैसले के दौरान स्पष्ट किया कि किस आधार पर कुछ वर्षों की सेवा में रहने वाले व्यक्तियों की सेवाओं को वैध रूप से समाप्त किया जा सकता है:

" 41. यदि कुछ वर्षों में नियुक्त किए गए लोगों की सेवाएँ सेवा समाप्त कर दी गई, राज्य के हाथों में तीन सिद्धांतों का पालन अनिवार्य था। (1) एकत्रित सामग्री की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्टि स्थापित करना ताकि -

राज्य को अपने संतोष पर पहुंचने में सक्षम बनाएँ कि चयन प्रक्रिया

दागी था; (2) इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कि की गई अवैधताएं मामले की जड़ तक जाती हैं जो पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करती हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गहन जांच के कारण ऐसी संतुष्टि के साथ-साथ सामग्री की पर्याप्तता भी एकत्र करने की आवश्यकता थी; (3) क्या पर्याप्त सामग्री मौजूद होने से राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हुआ कि क्या इस बात से संतोष है कि अधिकांश अधिकारी धोखाधड़ी के उद्देश्य का हिस्सा पाए गए हैं या व्यवस्था ही भ्रष्ट थी।

[20

21] 2 एस सी आर।

39. अदालत ने नोट किया कि इसके खिलाफ गंभीर आरोप थे

सेवा आयोग और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए सभी निर्णय अभी तक नहीं लिए गए थे। अलग करने के लिए। न्यायालय ने कहा किः

" 45. यदि चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी स्थापित हुई थी, तो राज्य को पुनः चयन करने की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। सामान्य रूप से चुने गए लोगों की वरिष्ठता उनके पक्ष में बहाल नहीं की जा सकती थी। इस तरह का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से इसलिए दिया गया था क्योंकि राज्य बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भागीदारी के बारे में निश्चित नहीं था।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने एक विशिष्टता दिखाई

" बोर्ड परीक्षा के लिए सामूहिक धोखाधड़ी के एक सिद्ध मामले और भ्रष्टाचार के एक अप्रमाणित आरोप के बीच जहां एक की नियुक्ति सिविल सेवक शामिल है "।

40. अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ अनामिका मिश्रा मामले में निर्णय का उल्लेख किया

(उपर्युक्त) जहां दागी मामलों को गैर-दागी मामलों से अलग किया गया था और केवल जहां यह असंभव या अत्यधिक असंभव पाया जाता है, वहां "सामूहिक रूप से समाप्ति के आदेश जारी किए जा सकते हैं"। इसलिए, इस न्यायालय के विचार में, दागी उम्मीदवारों को गैर-दागी उम्मीदवारों से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। तय किए गए मामले व्यापक रूप से थे निम्नलिखित पंक्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

" 52 .....

(i) ऐसे मामले जहां "घटना" की जांच की गई हैः

(क) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम। दिलबाग सिंह [(1993) 1 एससीसी 154: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 144: (1993) 23 एटीसी 431], एससीसी एट

पैरा 3 और 7।

(ख) कृष्ण यादव बनाम। हरियाणा राज्य [(1994) 4 एससीसी 165: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 937: (1994) 27 ए. टी. सी. 547], एस. सी. सी. पैरा 12,15 पर और 22.

(ग) भारत संघ बनाम। आनंद कुमार पांडे [(1994) 5 एससीसी 663: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 1235: (1994) 28 ए. टी. सी. 165], पैरा 4 पर एस. सी. सी.। ((घ) हनुमान प्रसाद बनाम। भारत संघ [(1996) 10 एस. सी. सी. 742:

1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 364], पैरा 4 पर एस. सी. सी.।

(ई) भारत संघ बनाम। ओ. चक्रधर [(2002) 3 एस. सी. सी. 146: 2002

एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 361], पैरा 9 पर एस. सी. सी.।

चिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड (डीएसएसएसबी) [डी. आर. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

(iii) ऐसे मामले जहां चयन किया गया था लेकिन नियुक्ति नहीं की गई थीः (क) दिलबाग सिंह [(1993) 1 एस. सी. सी. 154: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 144: (1993) 23 ए. टी. सी. 431], पैरा 3 पर एस. सी. सी.

(ख) प्रितपाल सिंह बनाम। हरियाणा राज्य [(1994) 5 एस. सी. सी. 695 1994 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1239: (1994) 28 एटीसी 169]

(ग) आनंद कुमार पांडे [(1994) 5 एस. सी. सी. 663: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 1235: (1994) 28 ए. टी. सी. 165], पैरा 4 पर एस. सी. सी.। (घ) हनुमान प्रसाद [(1996) 10 एस. सी. सी. 742: 1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 364]

(ई) बी. रमनजिनी [(2002) 5 एससीसी 533: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 780], पैरा 4 पर एस. सी. सी.।

((iv) ऐसे मामले जहां उम्मीदवार भी अयोग्य थे और नियुक्तियां कानून या नियमों के विपरीत पाई गईं: (क) कृष्ण यादव [(1994) 4 एस. सी. सी. 165: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 937: (1994) 27 एटीसी 547]

(ख) प्रमोद लाहुदास मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1996) 10 एससीसी 749: 1996 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1487] जिसमें चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्तियां की गई थीं।

(ग) ओ. चक्रधर [(2002) 3 एस. सी. सी. 146: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 361] जिसमें टाइपराइटिंग परीक्षणों के बिना नियुक्तियां की गई थीं। और चयन की अन्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

(जोर दिया गया)

41. इंदरप्रीत सिंह काहलों (ऊपर) में निर्णय इस बात पर जोर देता है

कि जब कर्मचारियों की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को सहायता और बढ़ावा दिया है, तो न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि इसके लिए शर्तें मौजूद हैं। न्यायालय एक चयन को दरकिनार करते हुए "राज्य को यह स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है कि प्रक्रिया इतनी दूषित थी कि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।" न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने एक अलग राय में कहा कि जहां समाप्ति का आधार है सेवा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप शामिल हैं, यह अनिवार्य है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति भंडारी के फैसले में "मामले के विशिष्ट तथ्यों पर जोर दिया गया है जो यह थे कि कुछ उम्मीदवारों ने लगभग तीन साल तक काम किया था और उनकी सेवाओं को केवल आपराधिक जांच के आधार पर समाप्त किया गया था जो प्रारंभिक चरण में थी। द.

चयन के रद्द होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाओं की समाप्ति न केवल उनके हित को गंभीरता से प्रभावित करेगी, बल्कि उनके पूरे भविष्य के करियर को बर्बाद कर देगी। दोनों फैसलों में सहमति बनी उच्च न्यायालय को मामलों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश जारी करने में और दो समितियों के गठन के लिए-एक कार्यकारी अधिकारियों से संबंधित और दूसरी न्यायिक अधिकारियों से संबंधित दागी अधिकारियों को बेदाग अधिकारियों से अलग करने के लिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए परिणामी निर्देश भी जारी किए गए थे।

42. इंदरप्रीत सिंह काहलों (ऊपर) में निर्णय का विश्लेषण करते समय इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि इसमें ऐसी स्थिति शामिल थी जिसमें जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, उन्हें बाद में बर्खास्त करने की मांग की गई थी।

इस आधार पर कई वर्षों की सेवा कि उनके चयन को एक धोखाधड़ी से दूषित किया गया था, जिसकी उत्पत्ति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से हुई थी। दूसरे शब्दों में, जैसा कि न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने इसे "भ्रष्टाचार का एक अप्रमाणित आरोप जिसमें एक सिविल सेवक की नियुक्ति शामिल है" कहा था। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने "इस मामले के विशिष्ट तथ्यों" पर भी जोर दिया, जिसमें राज्य की सेवाओं में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त करने की मांग की गई थी। यह अंतर करने के बाद, यह होना चाहिए

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्णय इस बात पर जोर देता है कि जहां दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव है, राज्य को ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि उस मामले में इस कार्य को पूरा करना असंभव नहीं था। इस संदर्भ में ऐसा करने के लिए अंतिम निर्देश जारी किए गए।

सचिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

43. फैसले की अगली कड़ी इंदरप्रीत सिंह काहलों (ऊपर) जोगिंदर पाल बनाम में दो न्यायाधीशों की पीठ का एक और फैसला है। पंजाब राज्य 3 (जोगिंदर पाल)। फैसले के बाद इंदरप्रीत सिंह काहलों

समिति यह थी कि दागी उम्मीदवारों के मामलों को गैर-दागी उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूरी प्रक्रिया को आयोजित करने के कारण वही थे जो पहले उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किए गए थे। इसके अलावा, रिमांड के बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि राज्य ने आगे आकर उन उम्मीदवारों को वापस लेने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था जो दागी नहीं थे और जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था। 8 (2014) 6 एससीसी 644 [2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. अध्यक्ष अखिल भारतीय रेलवे भर्ती में निर्णय

बोर्ड वी। के श्याम कुमार '(अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड) ने एक मामला शामिल किया जिसमें बोर्ड ने दक्षिण मध्य रेलवे में समूह-डी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 5 लाख 56 हजार आवेदक पात्र पाए गए। योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक था। 3.22 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए जिनमें से 2690 का चयन किया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। अर्हता प्राप्त करने वालों को मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उस स्तर पर, यह देखा गया कि लिखित परीक्षा के दौरान कुछ गलत प्रथाएं हुईं जिनमें सामूहिक नकल, प्रश्न पत्रों का रिसाव और अन्य शामिल थे।

प्रतिरूपण। सतर्कता विभाग ने सिफारिश की कि मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को कुछ उम्मीदवारों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी जिन्होंने पहली लिखित परीक्षा दी थी। ट्रिब्यूनल ने याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले चयन को रद्द करने का कोई उचित आधार नहीं है और बोर्ड को पहले लिखित परीक्षा के आधार पर चयन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया, सिवाय उन 62 उम्मीदवारों के जिनके खिलाफ चुनाव हुए थे।

प्रतिरूपण के आरोप।

45. अपील में, इस अदालत ने सतर्कता की रिपोर्ट को नोट किया

विभाग जिसने संकेत दिया कि:

((i)

कई उम्मीदवारों को प्राप्त होने का संदेह था

कुछ घंटे पहले प्रश्नों के उत्तर दें

एक बिचौलिये के माध्यम से परीक्षा जिसने एक स्वीकार किया था

रिश्वत देना;

62 उम्मीदवारों के संबंध में गंभीर आरोप लगे थे

((ख)

प्रतिरूपण और बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि कम से कम 6 उम्मीदवारों ने सुरक्षित करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए थे

लिखित परीक्षा में योग्यता अंक। जांच ने प्रथम दृष्टया प्रश्न पत्रों के बड़े पैमाने पर रिसाव को स्थापित किया

उम्मीदवारों की संख्या; और

(111) यह पूर्व नियोजित प्रतीत होता था और बोर्ड के कर्मचारियों की भागीदारी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

बाहर निकलें।

9 (2010) 6 एस. सी. सी. 614 सचिन कुमार बनाम

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या उच्च न्यायालय बोर्ड के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित था

उन लोगों के लिए पुनः परीक्षा जिन्होंने पहली लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे। इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, बोर्ड को दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित करने और अपील के परिणाम के अधीन चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति के. एस. पी. राधाकृष्णन ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए जोर देकर कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के पास तीन विकल्प उपलब्ध थे:

" 20. ..... (I) पूरी लिखित परीक्षा को रद्द करना, और नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नई लिखित परीक्षा आयोजित करना; (2) उन उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करना जिन्होंने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे। पहली लिखित परीक्षा; और (3) पहली लिखित परीक्षा के साथ आगे बढ़ना (जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सुझाव दिया गया था), जांच को 62 उम्मीदवारों तक सीमित करना जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे

प्रतिरूपण "।

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बोर्ड को तीसरे विकल्प को स्वीकार करने का निर्देश देकर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया था और सीमाओं का उल्लंघन किया था

न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पहले

विकल्प समय लेने वाला और महंगा होता। यदि बोर्ड का मानना था कि सबसे अच्छा विकल्प उन उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करना था जिन्होंने पहली लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे, तो बोर्ड का निर्णय निष्पक्ष और उचित था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय का निर्णय केवल एक अवैधता को कायम रखेगा क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्रों के लीक होने के गंभीर आरोप थे

उम्मीदवारों का प्रतिरूपण और पहली परीक्षा में सामूहिक नकल। रेलवे भर्ती बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

46. दो न्यायाधीशों की पीठ का एक और हालिया निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम. ए कलैमनी 1 ("कलैमनी")। तमिलनाडु राज्य में शिक्षक भर्ती बोर्ड ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्याताओं के पदों पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। लिखित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी और उम्मीदवारों को ओ. एम. आर. पत्रक भरने की आवश्यकता थी। लिखित परीक्षा में ओ. एम. आर. पत्रक के साथ छेड़छाड़ से जुड़े बड़े पैमाने पर कदाचार के आरोप थे। पुनर्मूल्यांकन के बाद, उन 196 उम्मीदवारों से संबंधित प्रविष्टियों में विसंगतियां पाई गईं जो अंकों के धोखाधड़ी से परिवर्तन के लाभार्थी थे। आयोजित की गई परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया

21] 2 एस सी आर।

व्याख्याताओं के पदों पर चयन के लिए क्योंकि बोर्ड का विचार था कि बाद में और अधिक कदाचार का पता चलने की संभावना थी। और प्रक्रिया की शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि अभिलेखों का निर्माण केवल 196 उम्मीदवारों से संबंधित है और जब अलगाव संभव है, तो पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अपील में, इस न्यायालय ने इंदरप्रीत सिंह काहलों (ऊपर) के फैसले के साथ-साथ उस दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया जो गोहिल विश्वराज हनुभाई बनाम में लिया गया था। गुजरात राज्य 1 ("गोहिल") जहाँ यह आयोजित किया गया था:

" 15. ... .

" 21. परीक्षा प्रक्रिया की शुद्धता-क्या ऐसी परीक्षा प्रक्रिया शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन से संबंधित है या राज्य के तहत
रोजगार के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता-किसी भी परीक्षा की तर्कसंगतता की एक निर्विवाद आवश्यकता है।

किसी भी परीक्षा प्रक्रिया के संचालन के दौरान बड़े पैमाने पर कदाचार, राज्य या उसके उपकरण परीक्षा को रद्द करने के हकदार हैं। इस न्यायालय ने कई मौकों पर मंजूरी दी है जब भी ऐसी कार्रवाई आवश्यक मानी जाती है तो परीक्षाओं को रद्द करने के लिए राज्य या उसके उपकरणों की कार्रवाई

यह इंगित करने के लिए कि परीक्षा प्रक्रिया दूषित है, कुछ उचित सामग्री। वे परीक्षा प्रक्रिया को दूषित करने वाले प्रत्येक तथ्य का प्रमाण मांगने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।

16. उक्त निर्णय में आगे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

" 30. आपराधिक अभियोजन या यहां तक कि प्रशासनिक जांच द्वारा कदाचार के दोषी सभी उम्मीदवारों की पहचान करना निश्चित रूप से एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यदि यह कानून की आवश्यकता है कि गलत काम करने वालों की इस तरह की पहचान अनिवार्य है और केवल पहचाने गए गलत काम करने वालों को चयन प्रक्रिया से समाप्त किया जाना चाहिए, और जब तक ऐसी पहचान पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप न केवल एक बड़ा नुकसान होगा।

1 1 11 (2017) 13 एस. सी. सी. 621 सचिन कुमार बनाम।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

प्रशासन के लिए असुविधा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप नुकसान भी होता है

निर्दोष उम्मीदवारों के लिए भी समय। दूसरी ओर, विवादित कार्रवाई के कारण निर्दोष उम्मीदवारों (इस मामले में गलत काम करने वालों सहित सभी उम्मीदवारों) को अभी भी मौका मिलता है राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली नई परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेना।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दृष्टिकोण अस्थिर था और कहा:

" 14. तत्काल मामले में, बोर्ड ने शुरू में ओ. एम. आर. उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर से संबंधित आरोपों के संबंध में अपने दम पर जांच की। बोर्ड ने पाया कि ओ. एम. आर. उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ से कुछ लोगों को लाभ हुआ। गहन जांच में उन 196 व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई गई जो अंकों के परिवर्तन में धोखाधड़ी के लाभार्थी थे। बोर्ड आश्वस्त था कि अधिक लोगों के आने की संभावना है

अंकों के हेरफेर में शामिल होने के कारण पूरी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। चयन प्रक्रिया की अखंडता के बारे में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए बोर्ड द्वारा लिए गए एक प्रामाणिक निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। उस सामग्री की पर्याप्तता जिसके आधार पर किसी प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय के दायरे में नहीं है -

न्यायिक समीक्षा। जाँच में और अधिक सामग्री का पता लगाया जा रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाँच चल रही है

" "

प्रगति करते हैं।

अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्याता के रूप में चुने जाने और नियुक्त होने का मौका मिला था, वे हो सकते हैं - असुविधाजनक "लेकिन बोर्ड द्वारा परीक्षा में हेरफेर के परिमाण के बारे में एक गंभीर संदेह को उचित महत्व दिया जाना चाहिए"। तदनुसार उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

47. रेलवे भर्ती बोर्ड, गोहिल और कलमनी (ऊपर) के अध्यक्ष के निर्णय इस बात पर जोर देते हैं कि एक भर्ती

प्राधिकरण को अपने समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर एक प्रामाणिक दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, कि पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक नई चयन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा अपने [2021] 2 एस. सी. आर. को प्रतिस्थापित करके चयन प्रक्रिया की अखंडता की हल्के में अवहेलना नहीं की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामग्री की पर्याप्तता पर अपनी व्यक्तिपरक राय जो दी गई है

निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाता है। निस्संदेह, प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण विचार है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ उम्मीदवार शामिल हुए हों

अनियमितताओं की पहचान की जा सकती है और तब प्राधिकरण के लिए दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव है। दूसरी ओर, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अनियमितताओं की प्रकृति कई गुना हो सकती है और इसमें शामिल उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक है कि दागी को बेदाग से सटीक रूप से चित्रित या अलग करना असंभव है। प्रामाणिकता से पहले सामग्री के आधार पर प्राधिकरण के एक सुविचारित निर्णय को न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह अनुचितता या आनुपातिकता के आधार पर दूषित न हो जाए।

जी वर्तमान मामला

48. 22 अगस्त 2015 को, "गंभीर" की प्राप्ति के बाद

ग्रेड-II डी. ए. एस. एस. के पद के लिए डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के बारे में मुख्यमंत्री, जी. एन. सी. टी. डी. के कार्यालय में शिकायतों की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेशक (सतर्कता) और जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) की एक समिति नियुक्त की गई थी। प्रारंभिक जाँच पर समिति ने शिकायतों की गंभीरता को नोट किया जिसमें आरोप शामिल थे कि:

टियर में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 50 उम्मीदवार

((i)

I परीक्षा (जैसे 200 में से 170) में 50 से कम अंक प्राप्त किए। टियर-II परीक्षा और कुछ उम्मीदवारों ने शून्य प्राप्त किया था

निशान;

((ख)

यादृच्छिककरण की अनुपस्थिति सक्षम उम्मीदवारों को जो थे एक अनुक्रम में बैठने से निकटता से संबंधित; और

(iii)

उम्मीदवारों का एक महत्वपूर्ण अनुपात एक था

केंद्रित भौगोलिक क्षेत्र।

49. समिति ने कहा कि प्रथम श्रेणी की परीक्षा आयोजित करने में लगभग पांच साल की देरी हुई थी। नतीजतन, 62,056 आवेदकों में से केवल 8224 ने टियर-I परीक्षा में भाग लिया था, जिससे यह आशंका पैदा हो गई थी कि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। उम्मीदवार। समिति ने उन उम्मीदवारों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्होंने टियर-I परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए थे लेकिन टियर-II परीक्षा में बेहद कम अंक प्राप्त किए थे। उम्मीदवार भी सचिन कुमार बनाम से केंद्रित दिखाई दिए।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

दिल्ली का विशेष क्षेत्र। समिति ने पाया कि यह "आश्चर्यजनक है कि पूरी अंक सूची में समाज के एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है" उनके उपनामों के आधार पर। ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने टियर-I में उच्च अंक प्राप्त किए थे और टियर-II परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहे थे। समिति ने परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं पर गंभीरता से ध्यान देने में विफल रहने में डी. एस. एस. एस. बी. की भूमिका की आलोचना की।

50. समिति के समक्ष उम्मीदवारों के भी प्रतिनिधित्व थे। समिति ने पाया कि एक ही परिवार के सदस्य थे

टियर-I और टियर-II दोनों परीक्षाओं में निकटता में बैठे हुए पाए गए, जिनके विवरण को रिपोर्ट में सारणीबद्ध किया गया था। समिति ने कहा कि उसने कथित अनियमितताओं के संबंध में डी. एस. एस. एस. बी. के अधिकारियों को एक प्रश्नावली संबोधित की थी, लेकिन उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त की। समिति ने पाया कि यादृच्छिककरण के अभाव में, कई मामले सामने आए थे जहां एक ही परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य लगातार क्रम में बैठे थे और संभावित चयन के क्षेत्र में आ रहे थे। चयन क्षेत्र में आने वाले अधिकांश उम्मीदवार एक ही भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रतीत होते हैं। इस पृष्ठभूमि में और दस्तावेजी सामग्री की विशाल प्रकृति पर विचार करते हुए, समिति का विचार था कि या तो सीबीआई या अपराध शाखा मामले की जांच करने में सक्षम होगी। मामला वहीं नहीं रुका। अपनी रिपोर्ट में पहली समिति ने पाया कि ग्रेड-II डी. ए. एस. एस. के पद के लिए डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं थीं। समिति की रिपोर्ट इस पर आधारित है:

टियर-I परीक्षा आयोजित करने में पांच साल की देरी

((i)

2009 में विज्ञापन जारी होने के बाद; और

((ख)

केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रवेश पत्र जारी करना मोड, जो विज्ञापन में निर्धारित नहीं था।

51. समिति का विचार था कि उम्मीदवारों के एक छोटे अनुपात की उपस्थिति के मुख्य कारणों में से एक

आवेदन ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने में उम्मीदवारों की असमर्थता थी। यह, समिति की दृष्टि में, प्रथम

इसने चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया। डी. एस. एस. एस. बी. ने अपने जवाब में कहा था कि वह पहले डाक द्वारा प्रवेश पत्र भेजता था लेकिन इससे

डाक में देरी, पते में परिवर्तन और पारगमन में खोए हुए या क्षतिग्रस्त लोगों के स्थान पर डुप्लिकेट कार्ड जारी करने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. 5 जून 2013 को, बोर्ड ने यू. पी. एस. सी. और रेलवे बोर्ड के पैटर्न का पालन किया था और ई-प्रवेश पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया था जिसे व्यापक प्रचार दिया जाना था। इस पहलू पर समिति ने कहा कि विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रवेश पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। पाँच साल की अवधि बीत चुकी थी। विज्ञापन की तारीख से। उम्मीदवारों के लिए एकल परीक्षा की अधिसूचनाओं पर नजर रखना संभव नहीं था। इस पृष्ठभूमि में, डी. एस. एस. एस. बी. का प्रक्रिया के दौरान केवल ई-प्रवेश पत्रों को अनुमति देने का निर्णय एक विचलन था जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम संख्या में

टियर-I परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार। यह स्पष्ट रूप से चयन प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को समान पहुंच और अवसर से वंचित करने का संकेत था। समिति ने इस निष्कर्ष को यह देखते हुए पुष्ट किया कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के बीच व्यापक अंतर था। यादृच्छिककरण के अभाव में, यह पाया गया कि एक परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार एक ही कमरे में बैठे थे और इन उम्मीदवारों के विवरण को विधिवत सारणीबद्ध किया गया था। समिति ने डी. एस. एस. एस. बी. के स्पष्टीकरण पर विचार किया कि यादृच्छिककरण के लिए सॉफ्टवेयर 28 जून 2015 से पहले उपलब्ध नहीं था और उम्मीदवारों के फेरबदल के लिए कदम उठाए गए हैं। समिति ने बोर्ड के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया, यह देखते हुए कि यदि टियर-I परीक्षा में यादृच्छिककरण किया गया था, तो यह अकल्पनीय था कि परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार एक ही कमरे में कैसे बैठे थे। इसके अलावा, यह आश्चर्यजनक लगा कि यादृच्छिककरण टियर-I में किया गया था न कि टियर-II में। हालांकि, डी. एस. एस. एस. बी. के अनुसार, टियर-II परीक्षा के लिए हाथ से फेरबदल किया गया था, फिर भी टियर-II परीक्षा में काफी संख्या में निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति निकटता में बैठे थे। इन अनियमितताओं के अलावा, समिति ने नोट किया कि एक रैकेट था जिसके कारण उम्मीदवारों का प्रतिरूपण किया गया था। इस रैकेट में अनिल कुमार मलिक नाम का एक व्यक्ति शामिल था जो एक विशेष केंद्र में मुख्य निरीक्षक था। यह आरोप लगाया गया था कि वह एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा था जो प्रश्न पत्रों के लीक होने में भी शामिल था। समिति ने इस आरोप पर ध्यान दिया कि इस व्यक्ति ने बार-बार डी. एस. एस. एस. बी. कर्मचारियों की मदद से अपने स्वयं के केंद्रों के चयन में अपने कर्तव्यों को निर्धारित किया था और प्रतिरूपण के उदाहरण सामने आए थे। समिति इन उदाहरणों को सारणीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। इसके अलावा, समिति ने पाया कि वीडियोग्राफी धुंधली थी, अंगूठे के निशान अपरिचित थे, जैमर ठीक से काम नहीं कर रहे थे और उम्मीदवारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के बावजूद उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, यह था

उन्होंने कहा कि उड़ान दस्ते के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों को जवाब देने के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब, इस पृष्ठभूमि में, सचिव सचिन कुमार बनाम.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

इसके बाद विचार के क्षेत्र में आने वाले सभी उम्मीदवारों की साख की जांच के लिए दूसरी समिति का गठन किया गया था। इससे दूसरी समिति की रिपोर्ट सामने आई। समिति ने नोट किया कि जिन 290 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, उनमें से 270 उपस्थित रहे और 11 अन्य उम्मीदवारों को एक और अवसर दिए जाने पर सामने आए। सत्यापन की प्रक्रिया के संचालन के बाद समिति ने पाया कि "कोई अनियमितता नहीं है। 281 उपस्थित उम्मीदवारों के दस्तावेजों में पाया गया। हालाँकि, इस बीच, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली द्वारा 18 जनवरी 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी; मूल फाइलों को 19 फरवरी 2016 को जब्त कर लिया गया था और बाद में 26 फरवरी 2016 को डोजियर की प्रमाणित प्रतियों को जब्त कर लिया गया था। 2 मार्च 2016 को उप-मुख्यमंत्री को दूसरी समिति की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन उम्मीदवारों के संबंध में सत्यापन किया गया था जो विचाराधीन क्षेत्र में थे। साथ ही, सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया था और "उसी पोस्ट कोड के लिए टियर I परीक्षा के संचालन के बारे में बहुत गंभीर शिकायतें हैं"। यह देखते हुए कि "भ्रष्टाचार और सरकार में शामिल होने वाले अधिकारियों के प्रति शून्य सहिष्णुता" होनी चाहिए

अनुचित परीक्षा के माध्यम से केवल स्वीकार्य नहीं हैं ", पूरी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, नई परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट दी गई थी।

54. श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियों का विचलन यह है कि जब उप मुख्यमंत्री

निर्देश दिया कि प्रतिरूपण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए

चयन क्षेत्र के भीतर के उम्मीदवारों में से, उनकी 23 दिसंबर 2015 की टिप्पणियों का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा इस संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया था कि क्या परीक्षा में कोई अनियमितता हुई थी, वह स्वीकार कर लिया गया था और आगे कुछ नहीं। प्रतिरूपण की जाँच के अलावा बने रहे। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार दूसरी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि [2021] 2 एस. सी. आर. में से कोई भी नहीं।

281 चयन क्षेत्र में उम्मीदवार प्रतिरूपण में लगे हुए पाए गए, उसके बाद परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं था। दूसरी ओर, सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि दूसरी समिति का प्रेषण दायरे में संकीर्ण था, जो था

केवल प्रतिरूपण के पहलुओं को सत्यापित करें। इससे पहली समिति की रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष समाप्त नहीं हुए और उप-मुख्यमंत्री पूरी प्रक्रिया को वैध रूप से रद्द करने का निर्णय ले सकते थे। 55. हम अभिलेख के आधार पर पाते हैं कि प्रस्तुतिकरण में सार है जिसका ए. एस. जी. द्वारा आग्रह किया गया है। शिकायतों में

टियर-I और टियर-II दोनों परीक्षाओं से संबंधित भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। शिकायतों का पहले द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया था समिति और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। द.

अनियमितताएँ व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्यों या अनुचित साधनों तक ही सीमित नहीं थीं। इसके विपरीत, समिति की रिपोर्ट में एक प्रणालीगत प्रकृति की कमियां पाई गईं जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं। दोनों टियर-I और टियर-II परीक्षाएँ। 23 दिसंबर 2015 का उप-मुख्यमंत्री का आदेश पहली समिति के निष्कर्षों से अलग नहीं था। वास्तव में, उक्त आदेश ने पहली समिति के निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उप-मुख्यमंत्री के आदेश में केवल यह निर्देश दिया गया था कि आगे की जांच के दायरे को अनियमितताओं में से एक, अर्थात प्रतिरूपण तक सीमित कर दिया जाए। यह निर्देश देते हुए कि चयन क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार प्रतिरूपण का दोषी था या नहीं, उप मुख्यमंत्री के आदेश ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं को मिटा नहीं दिया। इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि प्रतिरूपण पर सत्यापन का आदेश देने के बाद, आगे कुछ भी नहीं किया जाना बाकी है और पहली समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया की पवित्रता को और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बहुत संभव है कि उप-मुख्यमंत्री ने केवल अंतिम निर्णय को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए प्रतिरूपण के आरोपों की आगे की जांच का निर्देश दिया हो।

ले लेंगे। श्री पटवालिया ने डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को पढ़ने के लिए एक कठिन प्रयास किया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि तीन आई. ए. एस. अधिकारी और अन्य अधिकारी जिन्होंने व्याख्यात्मक नोट में अपने हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने बचाव पक्ष को एक औचित्य प्रदान किया कि टियर-I

और टियर-II परीक्षाओं में खामियां नहीं थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी. एस. एस. एस. बी. और उसके अधिकारियों का आचरण खुद एक बादल के नीचे था। उनके स्पष्टीकरण को किसी भी तरह से जी. एन. सी. टी. डी. के अधिकारियों पर निर्णायक या बाध्यकारी नहीं माना जा सकता था। सचिन कुमार बनाम में उप मुख्यमंत्री।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

इस बात पर जोर देते हुए कि पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए उल्लंघन की प्रणालीगत प्रकृति जो हुई थी। इन उल्लंघनों में चयन के अंतिम क्षेत्र के भीतर सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचार में यह सरल कारण से महत्वपूर्ण नहीं है।

कि वर्तमान मामले में प्रभार की गंभीरता उस दोष के संबंध में नहीं है जो व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से जुड़ा हुआ है, बल्कि समग्र रूप से भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता के संबंध में है। इस न्यायालय के उदाहरण पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करते हैं कि जब एक पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता प्रणालीगत अनियमितताओं से दूषित हो जाती है, तो मुद्दा उन उम्मीदवारों की पहचान करने के बारे में नहीं है जो दागी हैं। वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, टियर-I परीक्षा में समान पहुंच से बुनियादी इनकार किया गया था। पहली समिति द्वारा सावधानीपूर्वक जाँच करने पर जिन आरोपों की पुष्टि की गई, उनकी प्रकृति से पता चला कि प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी। ऐसे में

स्थिति, जहाँ सरकार द्वारा रद्द करने का निर्णय लिया जाता है

पूरी प्रक्रिया, इसे तर्कहीन या मनमाना नहीं माना जा सकता है, जो निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया और आनुपातिकता के मानदंड को लागू करता है।

प्रक्रिया।

56. श्री पी. एस. पटवालिया ने अपनी दलीलों के दौरान प्रणालीगत अनियमितताओं में से प्रत्येक के लिए स्पष्टीकरण देने की मांग की है।

पहली समिति ने टियर-I परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भारी कमी, प्रवेश पत्रों की हार्ड प्रतियां जारी नहीं करना, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग, परीक्षा केंद्रों में यादृच्छिकता की कमी सहित अन्य बातों का उल्लेख किया। इसके जवाब में विद्वान ए. एस. जी. ने बताया है। यह आकलन करते हुए कि क्या भर्ती प्रक्रिया की गई है

समझौता किए जाने पर, कारकों (या अनियमितताओं) को यह पता लगाने के लिए संचयी रूप से देखा जाना चाहिए कि क्या वे भर्ती को रद्द करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर हैं। हम विद्वान ए. एस. जी. के साथ खुद को सहमत पाते हैं। जब तक यह तर्क देने के लिए पर्याप्त आधार है कि बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, इस न्यायालय को सभी संभावित स्पष्टीकरणों और वैकल्पिक परिदृश्यों को खारिज करने के लिए एक घुमावदार जांच में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है जहां ऐसी अनियमितताएं उचित होंगी।

57. लोक सेवाओं में भर्ती से जनता का विश्वास बढ़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, उनका उद्देश्य सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना होता है। जहाँ पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, वहाँ इसके रद्द होने से निस्संदेह कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है जो विशेष रूप से गलत काम में शामिल नहीं पाए जा सकते हैं। लेकिन यह अंतिम निर्णय [2021] 2 एस. सी. आर. को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एक परीक्षा को रद्द करने के लिए जहां गलत करने की प्रकृति-कटौती पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ताकि भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं की वैधता पर गंभीरता से प्रभाव डाला जा सके। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों ने, हमारे विचार में, दूसरी समिति की रिपोर्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने में गलती की है जो प्रतिरूपण के मुद्दे तक ही सीमित थी। दूसरी समिति की रिपोर्ट मामले का केवल एक पहलू है। उप-मुख्यमंत्री ने इससे आगे बढ़ना उचित समझा और अंततः सिफारिश की कि पहली समिति की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन निष्कर्षों को न तो मिटा दिया गया है और न ही न्यायाधिकरण ने उन निष्कर्षों में कोई त्रुटि पाई है। मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णय अस्थिर हैं।

58. अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, ए. एस. जी. ने इस तथ्य को दर्ज किया है कि बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में कई

प्रस्तुत किया कि 281 उम्मीदवारों में से भी यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि वे सभी बेदाग हैं। जिस दृष्टिकोण से हमने यह लिया है कि न्यायालय के आने के बाद मामले के इस पहलू पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। इस निष्कर्ष पर कि पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई थी और रद्द करना उचित था।

59. न्यायाधिकरण ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय को दरकिनार करते हुए सरकार को उन सभी 281 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को संसाधित करने का निर्देश दिया जो चयन क्षेत्र के भीतर पाए गए थे, हालांकि वास्तव में उनमें से केवल 6 ने न्यायाधिकरण का रुख किया था। डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद, कई उम्मीदवारों द्वारा हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए थे। इन हस्तक्षेपों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और हमने इस फैसले के पैरा 20 में 15 दिसंबर 2017 को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पारित आदेश से भी निष्कर्ष निकाला है। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई का कारण 15 मार्च 2016 को सामने आया था जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बावजूद हस्तक्षेप करने वाले उम्मीदवारों में से किसी ने भी निर्णय को चुनौती नहीं दी थी। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय 13 जनवरी 2020 को दिया गया था और इसके बाद ही इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्थानांतरित किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं ने सचिन कुमार बनाम को भी स्थानांतरित नहीं किया था।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे]

उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप के लिए आवेदन। अन्य लोगों ने 15 दिसंबर को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने उपायों को आगे नहीं बढ़ाया।

2017 2 साल से अधिक। उन्होंने परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने डीएसएसएसबी और जीएनसीटीडी की दलीलों को बरकरार रखा है और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने के लिए आगे बढ़े हैं, उम्मीदवारों द्वारा दायर एसएलपी को किसी भी स्थिति में खारिज करना होगा।

60. उपरोक्त कारणों से, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं:

इस दौरान जो तथ्य सामने आए हैं

((i)

एस. एल. पी. के इस समूह की सुनवाई डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा संचालित प्रक्रिया में गंभीर खामियों को दर्शाती है। डी. एस. एस. एस. बी. और जी. एन. सी. टी. डी. को अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए जो भर्ती प्रक्रिया में जनता की विश्वसनीयता और विश्वास को कम करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि एक व्यापक

भविष्य में भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए दो महीने की अवधि के भीतर तौर-तरीकों और सुरक्षा उपायों को फिर से देखने का अभ्यास किया जाना चाहिए।

((ख)

जी. एन. सी. टी. डी. के रद्द करने की 15 मार्च 2016 की अधिसूचना

पोस्ट कोड के तहत हेड क्लर्क [(ग्रेड II (डीएएसएस)] के पद पर भर्ती के लिए आयोजित टियर-I और टियर-II परीक्षाएँ

90/09 बरकरार रखा जाता है;

(iii)

डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा दायर अपील (विशेष अवकाश से उत्पन्न) याचिका (सी) 2020 की संख्या 11940) और जी. एन. सी. टी. डी. (2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 12066 से उत्पन्न) की अनुमति है;

(iv) दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ का 13 जनवरी 2020 का निर्णय (और इसके परिणामस्वरूप निर्णय)

न्यायाधिकरण के) को अलग रखा जाता है; और

द्वारा दायर एस. एल. पी. 1 2 12 से उत्पन्न होने वाली सहयोगी अपीलें

(v)

उम्मीदवार बर्खास्त कर दिए जाते हैं।

12 एसएलपी (सी) सं. 5785-5786/2020

एसएलपी (सी) सं. 15299-15300/2020 एसएलपी (सी) सं. 110-111/2021 2021] 2 एस. सी. आर.

मेरी अदालत की रिपोर्ट

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। लंबित आवेदन, यदि

का एड।

अपीलों का निपटारा किया गया।